# नवोन्मेष
## रुक्टा (राष्ट्रीय)

**राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय )**

**( अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध )**

**website:** www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org, ructarashtriya@gmail.com



**केन्द्रीय कार्यालय** : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर, जयपुर-302004

**प्रधान कार्यालय** : सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305001 (राज.)

**अध्यक्ष** : डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर मो. 9414452369, 9983007575

**महामंत्री** : डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर मो. 9414497042


**परिपत्र क्र. : रुक्टा ( रा. )/2018-19/04 माघ कृ. १२ वि. सं. २०७५ तदनुसार 01 फरवरी, 2019**

**( सभी इकाई सचिवों एवं सक्रिय सदस्यों को समस्त सदस्यों में प्रसारित करने के अनुरोध सहित प्रेषित )**

प्रिय महोदय/महोदया,

सादर नमस्कार।

अजमेर में सम्पन्न संगठन के 57वें प्रदेश अधिवेशन के विवरण, नवमनोनीत कार्यकारिणी, महामंत्री प्रतिवेदन, अंकेक्षित आय-व्यय लेखा एवं साधारण सभा में पारित प्रस्तावों के साथ शिक्षा-शिक्षक हितार्थ अन्य गतिविधियों के विवरण सहित यह परिपत्र प्रस्तुत है।

## शिक्षक समस्याओं के संबंध में संगठन की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

1. **उच्च शिक्षा मंत्रीजी का स्वागत** - 16 जनवरी 2019 को संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह जी भाटी से शिष्टाचार भेंट कर विभाग का मंत्री बनने पर स्वागत किया एवं आशा व्यक्त की कि उनके कार्यकाल में उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों के सामूहिक एवं व्यापक हित में कार्य होगा। प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री से राजकीय महाविद्यालय बारां मे अतिरिक्त कलक्टर द्वारा शिक्षकों के साथ किये गये अमर्यादित आचरण व दुर्व्यवहार की जाँच की माँग की। संगठन द्वारा एपीओ किए गए शिक्षकों को दुर्भावना पूर्वक पुर्वाह्न में कार्यमुक्त करने तथा आयुक्तालय स्तर पर प्राचार्य को नियम विरुद्ध एपीओ करने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इस तरह की घटनाओं पर मंत्रीजी से संज्ञान लेने की माँग की। मंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि प्राध्यापकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव एवं उत्पीड़न का व्यवहार नहीं किया जाएगा, तथा शिक्षण संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। भाटी जी ने उच्च शिक्षा के सर्वांगीण सुधार हेतु संगठन के सहयोग की अपेक्षा की। प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा मंत्री जी को आश्वस्त किया कि उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों के हित में जो भी रचनात्मक कार्य किए जाएँगे उसमें संगठन का पूरा सहयोग रहेगा।
2. **आयुक्त कॉलेज शिक्षा का स्वागत** - प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त कालेज शिक्षा श्री प्रदीप कुमार बोरड़ से 16 जनवरी 2019 को भेंट कर उनका स्वागत किया। आयुक्त महोदय के साथ लंबी चली वार्ता में संगठन की ओर से विश्वास दिलाया गया कि सभी शिक्षक उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। संगठन ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ महाविद्यालयों को श्रेष्ठ अकादमिक केन्द्र के रूप मे विकसित करने हेतु शासन के सहयोग पर भी बल दिया ।
3. **नेता एवं उपनेता प्रतिपक्ष व पूर्व उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भेंट** - संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 16 जनवरी को ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चन्द कटारिया, उपनेता श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी से मिलकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं। श्री कटारिया, श्री राठौड़ एवं श्रीमती माहेश्वरी ने संगठन को बताया कि उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं के समाधान हेतु वे रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करेंगे तथा निष्पक्ष रूप

से सभी का हित सुनिश्चित करवाने का प्रयत्न करेंगे। संगठन के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह, महामंत्री, संगठन मंत्री डॉ. दीपक कुमार शर्मा , सह संगठन मंत्री डॉ. सुशील बिस्सू, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉ. कमल मिश्रा सम्मिलित थे।

4. **शिक्षकों के द्वेषपूर्ण स्थानांतरणों का विरोध** – आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में शिक्षकों को 300 से 500 किलोमीटर दूर तक पदस्थापित करने पर संगठन गहरा रोष प्रकट करता है तथा सरकार की इस द्वेषपूर्ण कार्यवाही की निंदा करता है। राज्य सरकार द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के लगभग सभी अधिकारियों को 9 जनवरी को देर रात्रि जारी आदेश द्वारा एपीओ कर दिया था। उन्हें 12 दिन तक बिना कार्य के रोका गया और 21 जनवरी 2019 को जारी आदेश द्वारा न्यूनतम 300 से 500 किलोमीटर के मध्य उनका दुर्भावनापूर्वक पदस्थापन किया गया। संगठन अध्यक्ष सहित विभिन्न पदाधिकारियों को वैचारिक प्रताड़ना देने के लिए इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्णपूर्ण कार्यवाही की गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सोच में नकारात्मकता नहीं दिखाई देगी। दुर्भाग्य से सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिखाई दिया है। उच्च शिक्षा में भय और आतंक का वातावरण बना है तथा एक समूह द्वारा खुलेआम अभी एवं लोकसभा चुनाव के बाद स्थानांतरणों की धमकियाँ दी जा रही हैं। यह सारा विषय मुख्यमंत्री जी के और उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी के संज्ञान में लाने के बाद भी इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्यवाही से सरकार की निष्पक्ष छवि का दावा खोखला साबित हुआ है। सरकार के द्वारा आसपास के महाविद्यालयों में स्थान रिक्त होने के बाद भी जानबूझकर रुक्टा (राष्ट्रीय) के पदाधिकारियों को 300 से 500 किलोमीटर दूर भेजने का अर्थ संगठन की आवाज को दबाना और डर पैदा करना है। प्रताड़ना का हाल यह है कि प्राचार्य को आयुक्तालय स्तर पर ही नियमविरुद्ध ए.पी.ओ. कर दिया गया, पदस्थापन सूची में जहाँ विषय नहीं है, वहाँ भी पदस्थापित किया गया है। संगठन ने मुख्यमंत्रीजी एवं उच्च शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख कर अवगत कराया है कि संगठन के सभी कार्यकर्ता प्रतिबद्ध हैं तथा सरकार द्वेष भाव से भी जहाँ भेजेगी, राजकीय सेवा नियमों के अनुसार राज्य हित, शिक्षा हित, शिक्षक हित और विद्यार्थी हित में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।

5. **स्नातक/स्नातकोत्तर प्राचार्य एवं कुलपतिगण को देय विशेष भत्ते में बढ़ोत्तरी** – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और रुक्टा (राष्ट्रीय) के लगातार प्रयासों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातकोत्तर व स्नातक प्राचार्य एवं कुलपतिगण को प्रतिमाह देय विशेष भत्ते में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से हुई विभिन्न वार्ताओं में नवीन वेतनमान को दृष्टिगत रखते हुए कुलपतिगण ,स्नातकोत्तर एवं स्नातक प्राचार्यगण के विशेष भत्तों में समुचित बढ़ोतरी की माँग की थी। केन्द्र सरकार ने इस माँग पर कार्यवाही करते हुए पत्र क्रमांक 1-4/2017-U.II दिनांक 28 जनवरी 2018 द्वारा आदेश जारी किए हैं। अब स्नातकोत्तर प्राचार्य को प्रतिमाह रुपये 3000 के स्थान पर रुपये 6750 तथा स्नातक प्राचार्य को रुपये 2000 के स्थान रुपये 4500 तथा कुलपति को रुपये 5000 के स्थान पर रुपये 11250 विशेष भत्ता देय होगा। संगठन ने राजस्थान सरकार से माँग की है कि राज्य में विशेष भत्तों की दरों में अपेक्षित संशोधन अविलंब किया जाए।

6. **राजकीय महाविद्यालय बारां में ए.डी.एम. द्वारा शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने का विरोध** – राजकीय महाविद्यालय बारां में ए.डी.एम. श्री सुदर्शन सिंह तोमर ने 8 जनवरी 2019 को प्रात: अत्यंत अभद्र, अमर्यादित और अनधिकृत व्यवहार प्राचार्य कक्ष में घुस कर किया इसका संगठन ने तुरन्त कड़ा विरोध एवं निंदा करते हुए मुख्यमंत्री जी व मुख्य सचिव से समुचित कदम उठाने की माँग की। राज्य सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाता, उससे पहले ही जिला कलेक्टर ने ए.डी.एम. श्री सुदर्शन सिंह तोमर का पक्ष लेते हुए शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। संगठन ने ब्यूरोक्रेसी के इस कॉलोनियल एवं अमर्यादित आचरण पर रोष प्रकट करते हुए सरकार को कड़ा पत्र लिखकर तुरन्त संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने की माँग की। संगठन ने सरकार को बताया कि जिला कलेक्टर ने बिना मामले को समझे सीधे नोटिस जारी किए हैं तथा अपनी प्रशासनिक दक्षता दिखाने के स्थान पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है । कलेक्टर ने इस संबंध में प्राचार्य से भी बात करने का कोई प्रयास नहीं किया है। जिला कलेक्टर द्वारा अपने ए.डी.एम. को बचाने के लिए उच्च शिक्षा के शिक्षकों में भय पैदा करने के व्यवहार का संगठन द्वारा विरोध किया गया। संगठन द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन घोषणा पत्र, जो अब एक सरकारी दस्तावेज है, की घोषणा के अनुसार – 'प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भयमुक्त वातावरण स्थापित करते हुए उनकी अकादमिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाएगा', के विपरीत ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। महाविद्यालयों में बायोमैट्रिक व्यवस्था और आयुक्तालय द्वारा

निरीक्षण व्यवस्था के बाद भी इस तरह की अनधिकृत घुसपैठ और ब्यूरोक्रेसी का शिक्षकों के मध्य भय और आतंक फैलाकर उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता को समाप्त करने का यह अत्यंत निंदनीय प्रयास है। संगठन ने चेताया है कि इस तरह की घटनाओं की यदि पुनरावृत्ति हुई या शिक्षकों पर कोई कार्यवाही हुई तो राज्य की उच्च शिक्षा के शिक्षक चुप बैठने वाले नहीं हैं।

7. **यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 में विसंगतियों को दूर करवाने के प्रयास** – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने 30 जनवरी 2019 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. डी.पी.सिंह, उपाध्यक्ष प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, सचिव प्रोफ़ेसर रजनीश जैन तथा यू.जी.सी. रेगुलेशन विसंगति निवारण समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर आर. पी. तिवारी से विस्तृत भेंट वार्ता कर उन्हें यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 में रही विसंगतियों के संबंध में विस्तार से अवगत कराते हुए व्यापक हित में उनके निराकरण की माँग की। महासंघ द्वारा निश्चित समय सीमा के भीतर संपूर्ण देश में यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 को एक समान रूप से लागू करने की माँग की गई। एसोसिएट प्रोफेसर व चयनित वेतनमान में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के लिए पीएच.डी. की अनिवार्यता तथा जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु पीएच.डी. अनिवार्य किए जाने का संगठन द्वारा विरोध किया गया। महासंघ द्वारा बताया गया कि देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी जगह समान रूप से शोध की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में पीएच.डी. को अनिवार्य करना भेदभावपूर्ण व अन्यायकारी होगा। महासंघ ने फैकल्टी द्वारा शोध अवकाश अवधि को पदोन्नति हेतु शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं जोड़े जाने पर भी गंभीर आपत्ति की। संगठन ने इसे शोध को हतोत्साहित करने वाला कदम बताते हुए वापस लेने की माँग की। महासंघ ने कॅरियर एडवांसमेंट योजना में विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा बोर्डों सहित अन्य प्रकाशकों के पुस्तक लेखक होने, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने एवं पोस्टर प्रस्तुत करने, शोध जर्नल्स के एडिटर होने, लोकप्रिय लेख लिखने आदि के लिए भी रिसर्च स्कोर दिए जाने की माँग की। संगठन द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया पर भी प्रश्न खड़े किए गए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग करना भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि देश भर की उच्च शिक्षा संस्थानों में परीक्षा एवं अंकन की योजनाओं में भारी अंतर है। संगठन ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वीकृत पदों को नियमित एवं स्थाई फैकेल्टी द्वारा भरे जाने की माँग भी की। यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 की विसंगतियों के संबंध में लगभग डेढ़ घंटे चली चर्चा के अन्य विषयों में विश्वविद्यालयों द्वारा पीएच.डी. रेगुलेशन लागू करने की तिथि तक पंजीकृत शोधार्थियों को नेट से छूट देने, कुलपति पद हेतु 25 वर्ष के कुल शिक्षण अनुभव के साथ प्रोफेसर को योग्य मानने, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तें शिक्षकों के समान ही रखने, राज्य पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने पर आने वाले अतिरिक्त व्यय का 80 प्रतिशत न्यूनतम पाँच वर्ष तक केन्द्र सरकार द्वारा वहन करने, उचित शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात सुनिश्चित करने आदि विषय शामिल थे। यूजीसी अध्यक्ष, विसंगति निवारण समिति के अध्यक्ष तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों ने महासंघ के प्रत्येक बिंदु को ध्यान से सुना एवं समझा तथा समुचित रूप से परीक्षण कर उचित कदम उठाने का विश्वास दिलाया। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष प्रो. जगदीश प्रसाद सिंघल, संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, सचिव डॉ. मनोज सिन्हा तथा सहसचिव डॉ. नारायण लाल गुप्ता शामिल थे।

8. **वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 हेतु 30 जून 2018 तक पात्र शिक्षकों से आवेदन भरवाने की माँग** – संगठन ने सरकार से 30 जून 2018 तक वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों से सी.ए.एस. लाभ हेतु आवेदन अविलम्ब भरवाने जाने की माँग की है। संगठन द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया है कि 30 जून 2017 तक सी.ए.एस. लाभ हेतु पात्र 460 शिक्षकों को वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 देने की कार्यवाही दिसम्बर 2018 में सम्पन्न हो चुकी है। 30 जून 2017 के बाद कई और शिक्षक सी.ए.एस. योजना में पदोन्नति हेतु पात्र हो गए हैं। राज्य सरकार के नियमानुसार सी.ए.एस. के लाभ के लिए ड्यू दिनांक तक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। चूंकि गत अकादमिक सत्र 30 जून 2018 को समाप्त हो चुका है एवं महाविद्यालयों में सत्र 2017-18 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भी भरे जा चुके हैं। ऐसे में 30 जून 2018 तक वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड 4 के पात्र शिक्षकों से भी सी.ए.एस. लाभ हेतु अविलम्ब आवेदन भरवाये जाना चाहिए, ताकि उन्हें अपना न्यायोचित अधिकार मिल सके। संगठन द्वारा सरकार को पुन: बताया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2010 में भी सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षक से पात्रता तिथि के तीन माह पूर्व आवेदन मांगने का प्रावधान किया गया है। चूँकि 2 फरवरी 2018 तक सी.ए.एस. लाभ हेतु पात्र शिक्षकों को पूर्व प्रचलित नियम दिनांक 8-5-2013 के अनुसार सी.ए.एस. का लाभ देना है। साथ ही 2 फरवरी 2018 के बाद नए नियम

तथा यू.जी.सी. के नये रेगुलेशन भी प्रकाशित किये जा चुके हैं जिससे 30 जून 2018 तक पात्र शिक्षकों को सी.ए.एस. देने के सभी नियम स्पष्ट हैं।

9. **30 जून 2017 तक सी.ए.एस. योजना का लाभ मिलने से शेष रहे शिक्षकों को उनका वित्तीय अधिकार देने की माँग** – संगठन के प्रयत्नों से 30 जून 2017 तक सी.ए.एस.योजना में पात्र शिक्षकों के लिए 5 दिसम्बर 2018 को सम्पन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक उपरान्त कुल 460 शिक्षकों को वरिष्ठ/चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 का लाभ दिया गया था। कुछ शिक्षकों को कतिपय कमियों के कारण इस बैठक में सी.ए.एस. लाभ नहीं मिल पाया था। संगठन ने सरकार को ध्यान दिलाया है कि इन कमियों को आज दिनांक तक संबंधित शिक्षकों को नोटिफाइ नहीं करवाया गया है। संगठन ने बताया है कि कई मामलों में, विशेषकर ए.सी.आर. संबंधी कमियों में अधिकांश शिक्षकों की गलती नहीं है। कॉलेज स्तर या आयुक्तालय/सचिवालय स्तर पर ए.सी.आर. प्रेषण या संग्रहण में त्रुटियाँ भी ध्यान में आई हैं। संगठन द्वारा माँग की गई है कि 30 जून 2017 तक जिन शिक्षकों के सी.ए.एस. प्रकरण रुके हुए हैं, उन्हें अविलम्ब उनके प्रकरण की कमियों से लिखित रूप से अवगत करवाया जाकर उन्हें अपना समुचित पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए तथा यह कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर शीघ्र स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवाकर शेष रहे शिक्षकों को उनका वित्तीय अधिकार दिलवाने के निर्देश जारी किए जाएँ।

10. **आगामी लोकसभा चुनाव में पद, वेतन एवं वेतनमान के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रयास** – आगामी लोकसभा चुनाव अति निकट है। अत: संगठन ने पर्याप्त समय पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को चुनाव कार्य में महाविद्यालय शिक्षकों की गरिमानुसार नियुक्ति हेतु आग्रह किया है। संगठन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया है कि लोकतंत्रात्मक पद्धति में सभी तरह के चुनावों में महाविद्यालय शिक्षकों द्वारा पूर्ण निष्ठा से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गए दायित्वों को निभाया जाता रहा है किन्तु कई बार महाविद्यालय शिक्षकों से पद, वेतन एवं वेतनमान में कनिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी के अधीन शिक्षकों को नियुक्त कर दिया जाता है। इस कारण व्यापक असंतोष एवं रोष उत्पन्न हो जाता है। संगठन द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय स्थानों पर 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कनिष्ठ राजपत्रित अधिकारियों को जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया और उनके ही जोन/सेक्टर में महाविद्यालय शिक्षकों को पीठासीन अधिकारी/निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसे ठीक करवाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। संगठन ने माँग की है कि राजस्थान में महाविद्यालय शिक्षकों को उनके पद, वेतन एवं वेतनमान के अनुरूप ही चुनाव कार्य में नियुक्त किये जाने के आदेश सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रसारित किए जाएँ।

11. **1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप संशोधित करने की माँग** – संगठन ने 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को यू.जी.सी. सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ देने के आदेश शीघ्र जारी करने की माँग की है। संगठन ने सरकार को बताया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरीक्षित पेंशन के विस्तृत नियम प्रकाशित किए जा चुके हैं। राज्य के महाविद्यालय शिक्षकों को यू.जी.सी. अनुशंसित सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश भी प्रसारित हो चुके हैं किन्तु महाविद्यालय शिक्षा में 1-1-2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित सातवें वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रसारित नहीं हुए है। इस कारण 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन संशोधित नहीं हो पाई है।

12. **एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर में समुचित प्रशासनिक व्यवस्था की माँग** – महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति को कार्य करने पर न्यायालय की रोक के चलते विश्वविद्यालय के सभी महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य ठप्प होने से पिछले कुछ महीनों में विद्यार्थियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के व्यापक हित बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सेमेस्टर परीक्षा में डेढ़ से दो महीने देर हुई है। राजकीय अधिवक्ताओं की पूर्ण तैयारी नहीं होने तथा राजनीति द्वारा शिक्षा को प्राथमिकता से नहीं लेने के कारण सरकार द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं हुआ तथा न्यायालय में मामला खिंचता हुआ निरन्तर लंबित रहा है। संगठन द्वारा इस संबंध में रोष प्रकट करते हुए राज्य सरकार से मामले के शीघ्र निपटाने हेतु समुचित निर्देश देने का आग्रह किया गया तथा न्यायालय द्वारा निर्णय होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कमेटी ऑफ डीन्स को प्रशासनिक अधिकार देने की माँग की गई। संगठन के प्रयासों से राज्यपाल महोदय द्वारा अपेक्षित निर्देश प्राप्त हुए हैं फलत: विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सुचारु संचालन की ओर कदम बढ़े हैं।

## 57वें प्रांतीय अधिवेशन का विवरण

संगठन का 57वाँ प्रांतीय अधिवेशन 6 –7 जनवरी 2019 को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में संपन्न हुआ। अधिवेशन में संपूर्ण राज्य से राजकीय महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन के संभागियों में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, कॉलेज शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों सहित अनेक सेवानिवृत्त शिक्षक भी सम्मिलित थे।

❁ **देराश्री स्मृति व्याख्यान** – 6 जनवरी 2019 को अधिवेशन के प्रथम सत्र में संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्री की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। ''भारत में उच्च शिक्षा का परिदृश्य: चुनौतियाँ और भविष्य'' विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल, पूर्व कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का व्याख्यान हुआ। प्रो. सिंघल ने वर्तमान शिक्षा जगत् का परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्वतंत्रता पश्चात् भी सरकारों की कोई स्पष्ट नीति नहीं बन पाई। वैश्विक स्तर पर हमारे सर्वश्रेष्ठ संस्थान आज भी अपनी विशिष्ट पहचान नहीं बना सके हैं, तथापि आज वैश्विक मानकों को दृष्टिगत रखते हुए हम बहुत तीव्र गति से नवाचारों को स्थापित करने में प्रवृत्त हैं, जिसके परिणाम शीघ्र देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बाँसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने की। प्रो. सोडानी ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में शिक्षकों को अद्यतन ज्ञान अर्जित कर अपने विद्यार्थियों तक संप्रेषित करने और शोध के नए आयाम स्थापित करने का आह्वान किया। सत्र के प्रारंभ में उपस्थित अतिथियों एवं शिक्षकों का स्वागत करने के पश्चात् संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय महामंत्री ने प्रस्तुत किया। सत्र के अंत में संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

❁ **उद्‌घाटन सत्र** – उद्‌घाटन सत्र की मुख्य अतिथि पूर्व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान विधायक–राजसमन्द श्रीमती किरण माहेश्वरी, अध्यक्ष पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री व वर्तमान विधायक अजमेर (दक्षिण) श्रीमती अनिता भदेल, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे.पी.सिंघल, पूर्व कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर रहे। सरस्वती वंदना के साथ प्रारम्भ उद्‌घाटन सत्र में मुख्य अतिथि श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कॉलेज शिक्षकों के हित में अभूतपूर्व कार्य पूर्ण हुए। शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन, सातवें वेतनमान का लाभ, कॉलेज शिक्षा में लगभग 950 नवीन नियुक्तियाँ, सैकड़ों शिक्षकों के रुके हुए पे बैन्ड–4 के लाभ सहित अनेक फैसले शिक्षक हितार्थ लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में भविष्यलक्षी निर्णय लेते हुए अप्रेल 2018 में ही वर्ष के अंत तक रिक्त होने वाले कुल 830 पदों हेतु लोकसेवा आयोग को अभ्यर्थना भेज दी गई। उन्होंने राष्ट्रीय विचार को आधार मानकर शिक्षक हित में संगठन को कार्य करते रहने का आह्वान किया तथा विश्वास दिलाया कि वे विधायक के रूप में शिक्षकों के मुद्दे विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाती रहेंगी। समारोह की अध्यक्ष श्रीमती अनिता भदेल ने शिक्षकों को निर्भय होकर समाज की उन्नति हेतु अपना कार्य करने का उद्बोधन दिया तथा शिक्षकों को अपनी समाज परिवर्तनकारी शक्ति पहचानने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि प्रो. जे. पी. सिंघल ने अपने उद्बोधन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की वैचारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए 'शिक्षकों से राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज' के ध्येय वाक्य को सदैव स्मरण रखने का आह्वान किया, जो महासंघ को एक शिक्षक संगठन मात्र न रखकर शैक्षिक संगठन बनाता है। संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह ने संगठन के शिक्षा एवं समाजहितकारी कार्यों पर प्रकाश डालते हुए पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक कार्यों के लिए निवर्तमान मुख्यमंत्रीजी व उच्च शिक्षामंत्री जी का आभार जताया। अधिवेशन संयोजक प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शिक्षकों से शिक्षक समस्याओं पर एकजुट होकर अपना पक्ष सक्रियता से रखने तथा परिस्थिति निरपेक्ष रहकर संगठन को निरन्तर मज़बूत बनाने का आह्वान किया। संगठन महामंत्री ने महाविद्यालय शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं पर चर्चा करने के साथ साथ पूर्ववर्ती सरकार में उच्चशिक्षा मंत्री जी की सकारात्मक व त्वरित कार्यवाही की शैली का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अनिल दाधीच ने किया। सत्र का समापन प्रो. निहारिका राठौड़ द्वारा वन्दे मातरम् गायन से हुआ।

❁ **खुला सत्र एवं साधारण सभा** – अधिवेशन के प्रथम दिवस सायंकाल खुला सत्र एवं साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सत्र में शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक समस्याओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। महामंत्री ने वर्ष भर में संगठन द्वारा शिक्षक समस्याओं के समाधान में अर्जित उपलब्धियों एवं गतिविधियों तथा संपन्न सांगठनिक –

वैचारिक कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् 31 मार्च 2018 को संपन्न वित्तीय वर्ष का आय व्यय लेखा व चिट्ठा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साधारण सभा द्वारा तीन प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए- 1. ई-वेस्ट एवं प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध हम सब जुटें। 2. भारतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन हो। 3. शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। इसके अतिरिक्त मॉडल महाविद्यालय के रूप में शिक्षकों के निजी प्रयासों से संवर्धित होकर नए कलेवर में विकसित सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का प्रदर्शन भी किया गया। अंत में साधारण सभा द्वारा गत अधिवेशन के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई।

❁ **शैक्षिक संगोष्ठी** - अधिवेशन के दूसरे दिन ''भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा: आवश्यकता, चुनौतियाँ एवं समाधान'' विषय पर एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रो. सुरेंद्र भटनागर रहे व संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ने की। प्रो. सुरेंद्र भटनागर ने अपने मुख्य वक्तव्य में सरकार और शिक्षकों से भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की उद्गम संस्कृत भाषा है, जिसके भाषा विज्ञान की प्रामाणिकता को नासा सहित विश्व के अनेक महान् वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। प्रो. भटनागर ने भारतीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन देने पर बल दिया। संगोष्ठी अध्यक्ष प्रो. भगीरथ सिंह ने भारतीय भाषाओं में शिक्षण के महत्त्व पर बोलते हुए कहा कि हमारे प्रारम्भिक जीवन में जितना समय हम विदेशी भाषा सीखने में व्यतीत करते हैं, उससे कई गुना कम समय में हम अपनी भाषा में अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए सरकार व शिक्षकों को साथ बैठकर सोचना होगा व भारतीय भाषाओं में शिक्षण की कार्ययोजना बनानी होगी। संगोष्ठी में डॉ. ओमप्रकाश पारीक, डॉ. रेखा यादव, डॉ. कश्मीर भट्ट, डॉ. राजेश जोशी, डॉ. सरोज कुमार, डॉ. हरिसिंह राजपुरोहित, डॉ. आदित्य गुप्ता, डॉ. बबीता जैन, डॉ. अनिल गुप्ता, डॉ. सरस्वती मित्तल सहित 15 शिक्षकों ने अपने शोधपत्रों का वाचन किया। संगोष्ठी का संचालन डॉ. सुरेंद्र सोनी ने किया।

❁ **समारोप सत्र** - समारोप सत्र में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर ने अपने उद्बोधन में महासंघ की कार्य संस्कृति और व्याप पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगठन के ध्येय वाक्य राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज को स्पष्ट करते हुए कहा कि महासंघ सिर्फ अपनी माँगे मनवाने के लिए नहीं, वरन् शिक्षा, शिक्षक और समाज के हित में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के वैचारिक अधिष्ठान को लेकर सतत प्रयत्नशील रहता है। यह वर्षपर्यंत शिक्षकों में सनातन परम्परानुसार कर्तव्य बोध दिवस, नव संवत्सर, गुरु वंदन, शिक्षा के विभिन्न आयामों तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर करता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रुक्टा (राष्ट्रीय) सतत रूप से महासंघ की रीति नीति अनुसार वर्षपर्यन्त शिक्षकों द्वारा राष्ट्रनिर्माण में अपनी महती भूमिका के निर्वहन के साथ-साथ शिक्षक हितों का सजग प्रहरी बना हुआ है। तत्पश्चात महामंत्री ने अधिवेशन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। अधिवेशन संयोजक प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पिछले दशकों में संगठन की यात्रा में आए उतार-चढ़ाव को उद्धरणों द्वारा सदन के समक्ष जीवंत किया। संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से आयोजन इकाई को धन्यवाद दिया। अंत में आयोजन इकाई की ओर से आयोजन सचिव डॉ. सुशील बिस्सू ने आभार व्यक्त किया।

❁ **विमोचन** - संगठन पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक शैक्षिक महत्त्व के किसी विषय को लेकर शिक्षकों एवं समाज के वैचारिक प्रबोधन हेतु प्रदेश अधिवेशन में एक स्मारिका/पुस्तक का प्रकाशन कर रहा है। इस अधिवेशन में भी भारतीय भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन की आवश्यकता विषय पर ''निज भाषा उन्नति अहै'' नामक पुस्तिका का विमोचन पूर्व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिता भदेल, महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे.पी.सिंघल द्वारा किया गया। पुस्तक में देश के ख्यातनाम चिंतकों और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विद्वान् शिक्षकों के लेखों का संकलन है। इस पुस्तक के अलावा मातृभाषा के महत्त्व पर भारतीय महापुरुषों की उक्तियों व चित्रों से सज्जित एक वार्षिक कॅलेंडर का भी विमोचन किया गया।

❁ **नवीन कार्यकारिणी की घोषणा** - शैक्षिक संगोष्ठी के पश्चात् संगठन के पूर्व अध्यक्ष प्रो. संतोष पाण्डेय ने आगामी दो वर्षों के लिए प्रान्तीय कार्यकारिणी का मनोनयन का प्रस्ताव किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। नवीन कार्यकारिणी के विभिन्न पदों पर मनोनयन इस प्रकार है -

**अध्यक्ष** - डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत, बीकानेर **महामंत्री** - डॉ. नारायणलाल गुप्ता, अजमेर
**उपाध्यक्ष** - (1) *राजकीय*-डॉ. सत्यनारायण शर्मा, अनूपगढ़ (2) *महिला*-डॉ. सरस्वती मित्तल, जयपुर (3) *विश्वविद्यालय*-प्रो. सुभाषचन्द्र, अजमेर (4) *निजी*-डॉ. आर. जी. शर्मा, घड़साना
**संयुक्त सचिव** - (1) *राजकीय* - डॉ. गंगाश्याम गुर्जर, अलवर (2) *महिला*-डॉ. बुद्धिमती यादव, अलवर (3) *विश्वविद्यालय*-डॉ. बालूदान बारहठ, उदयपुर (4) *निजी*-डॉ. योगेश गुप्ता, जयपुर
**कोषाध्यक्ष** - डॉ. अतुल अग्रवाल, नसीराबाद **आंतरिक अंकेक्षक** - डॉ. राजीव सक्सेना, जयपुर
**संगठन मंत्री** - डॉ. दीपक शर्मा, जयपुर **सहसंगठन मंत्री** - डॉ. सुशील कुमार बिस्सु, अजमेर,
**संभाग संगठन मंत्री** - *जयपुर* - डॉ. सुरेन्द्र डी. सोनी, चुरू; *चित्तौड़* - डॉ. कश्मीर भट्ट, भीलवाड़ा; *जोधपुर* - डॉ. हरिसिंह राजपुरोहित, ओसियाँ
**प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य** - (1) डॉ. रिछपाल सिंह, जोधपुर (2) डॉ. नेमीचन्द गर्ग, जैसलमेर (3) डॉ. अशोक सोनी, उदयपुर (4) डॉ. गीताराम शर्मा, कोटा (5) डॉ. राजेश जोशी, बांसवाड़ा (6) डॉ. मनोज बहरवाल, अजमेर (7) डॉ. सतीश त्रिगुणायत, भरतपुर (8) डॉ. रामस्वरूप मीणा, टोंक (9) डॉ. शिवानी स्वर्णकार, उदयपुर (10) डॉ. कमल मिश्रा, जयपुर (11) डॉ. राजेश जांगिड़, कोटपुतली (12) डॉ. रामनिवास चौधरी, जयपुर
**देराश्री शिक्षक सदन प्रभारी** - डॉ. संजीव त्यागी, जयपुर
**विशेष आमंत्रित** - (1) सभी पूर्व अध्यक्ष एवं महामंत्री गण (2) डॉ. राजेन्द्र शर्मा, जयपुर
**शैक्षिक प्रकोष्ठ** - *संयोजक* - डॉ. विक्रमजीत, बीकानेर; *सहसंयोजक* - डॉ. ऋतु सारस्वत, पुष्कर; *सहसंयोजक*- डॉ. ओमप्रकाश पारीक, जयपुर
**प्रचार प्रकोष्ठ** - *संयोजक* - डॉ. विवेक मंडोत, डूंगरपुर; *सहसंयोजक* - डॉ. अनिल दाधीच, अजमेर

❀ **प्रदेश कार्यकारिणी बैठक** - संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में 6 जनवरी 2019 को आयोजित की गई। सर्वप्रथम महामंत्री द्वारा गत बैठक का कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके बाद महामंत्री प्रतिवेदन, प्रस्ताव एवं आय-व्यय विवरण पर चर्चा कर अन्तिम रूप दिया गया। इसके बाद बैठक को अध्यक्ष के निर्देशानुसार अगले दिन हेतु स्थगित किया। 7 जनवरी को अपराह्न नई मनोनीत कार्यकारिणी की बैठक डॉ. दिग्विजयसिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक प्रो. जे. पी. सिंघल, श्री महेन्द्र कपूर एवं प्रो. संतोष पाण्डेय ने संबोधित करते हुए नव मनोनीत कार्यकारिणी को संगठन की रीति-नीति अनुसार कार्य करने का आह्वान किया। संगठन अध्यक्ष डॉ. दिग्विजयसिंह ने कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र में शिक्षकों की समस्याओं हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु कहा। सामूहिक कल्याण मंत्र के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

संगठन की अनेक इकाइयों में कर्तव्य बोध दिवस सम्पन्न हुए हैं। यह संतोष का विषय है कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाले इन कार्यक्रमों में शिक्षकों ने अच्छी संख्या में सहभाग किया है। यह सब इस परिस्थिति के बावजूद हुआ है कि महाविद्यालयों में एक समूह विशेष द्वारा भय का वातावरण निर्माण किया जा रहा है। कई स्थानों पर प्राचार्यों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने हेतु विवश किया गया किन्तु शिक्षक, शिक्षा और समाज हित निरन्तर निष्ठापूर्वक कार्य को समर्थन मिलता है, यह आप शिक्षक बन्धु बहनों ने अपनी सहभागिता द्वारा दर्शाया है। कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट अगले परिपत्र में प्रेषित की जाएगी।

साभार।

**भवदीय**

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)

**20, चित्रकूट कॉलोनी,**
**माकड़वाली रोड़, अजमेर-305004**

**अमृत वचन**

***हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, कुछ विशेषता है और शिक्षा का यही कार्य है कि इसको खोज निकाला जाए, विकसित किया जाए और प्रयोग में लाया जाए।*** ***- श्री अरविन्द***

# राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ ( राष्ट्रीय )
# 57वाँ प्रांतीय अधिवेशन, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

दिनांक 6-7 जनवरी 2019

## महामंत्री प्रतिवेदन

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं एकमात्र निरन्तर सक्रिय संगठन है। सांस्कृतिक राष्ट्रभाव के वैचारिक अधिष्ठान को केन्द्र में रखकर रुक्टा (राष्ट्रीय) केवल शिक्षक हित ही नहीं वरन् व्यापक रूप से शिक्षा समाज एवं राष्ट्रहित में निरन्तर सक्रियता से कर्मठतापूर्वक कार्य कर रहा है। संगठन का 56 वाँ प्रदेश अधिवेशन 8 व 9 जनवरी 2018 को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में सम्पन्न हुआ। 56वें अधिवेशन एवं उसके पश्चात् शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन द्वारा किए गए प्रयासों एवं उपलब्धियों के साथ सम्पन्न सांगठनिक एवं वैचारिक कार्यक्रमों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत है-

### शिक्षक समस्याओं के संबंध में उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ

1. **महाविद्यालय शिक्षकों का पदनाम परिवर्तन** - संगठन के निरन्तर अथक एकनिष्ठ एवं विजिगीषु प्रयासों का फल अंतत: राज्य सरकार द्वारा पदनाम परिवर्तन संबंधी आदेश जारी होने पर मिला। 2 फरवरी 2018 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में महाविद्यालय शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन की अधिसूचना प्रकाशित की गई। पदनाम परिवर्तन की अधिसूचना के अनुसार राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम में व्याख्याता शब्द विलोपित कर दिया गया। नए नियमों के अनुसार ए.जी.पी. 6000, 7000 एवं 8000 में कार्यरत शिक्षकों का पदनाम असिस्टेंट प्रोफेसर एवं पे बैंड-4 में कार्यरत शिक्षकों का पदनाम एसोसिएट प्रोफेसर किया गया है। राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्रति स्नातकोत्तर विभाग में एक प्रोफेसर के हिसाब से कुल 437 प्रोफेसर तथा स्नातक महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर की संख्या के 10 प्रतिशत के हिसाब से 40 प्रोफेसर के पद अर्थात् कुल 477 प्रोफेसर के पद सृजित किए गए। राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हुआ है, जहाँ महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद सृजित किए गए हैं। आई.ए.एस. को आयुक्त कॉलेज शिक्षा बनाने संबंधी स्थायी प्रावधान नियमों में करने के नौकरशाही के प्रयासों का संगठन द्वारा जोरदार विरोध किया गया। फलत: नवीन नियमों में आयुक्त पद हेतु महाविद्यालय प्राचार्य के पद पर 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले शिक्षक को पात्र मानने की व्यवस्था की गई। संगठन द्वारा प्राचार्य पद हेतु ए.पी.आई. व्यवस्था लगाने व केवल प्रोफेसर को ही प्राचार्य पद के योग्य मानने का भी जबरदस्त विरोध किया गया तथा वरिष्ठता के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर को प्राचार्य पद पर चयन हेतु योग्य मानने के लिए संघर्ष किया गया। फलस्वरूप यह प्रावधान हुआ कि प्राचार्य पद हेतु ए.पी.आई. की आवश्यकता नहीं होगी तथा प्राचार्यों के 75 प्रतिशत पद एसोसिएट प्रोफेसर से तथा 25 प्रतिशत पद प्रोफेसर से भरे जाएँगे। प्रोफेसर्स की अनुपलब्धता की स्थिति में 25 प्रतिशत पदों को भी एसोसिएट प्रोफेसर से भरा जा सकेगा।

   विभिन्न स्तरों पर नियमित अंतराल पर मंत्रीगणों एवं उच्चस्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लम्बी भेंटवार्ताएँ, तथ्यपूर्ण विस्तृत पत्राचार, मुख्यमंत्रीजी के नाम हस्ताक्षर अभियान, सभी राजनैतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के समर्थन पत्र, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर अपने आत्मसम्मान की आवाज़ का प्रकटीकरण, सम्पूर्ण राजस्थान से 4000 शिक्षकों का मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन, अन्तत: जयपुर अधिवेशन में मुख्यमंत्रीजी द्वारा पदनाम परिवर्तन की घोषणा, इसके बाद पदनाम परिवर्तन के नियमों के प्रारूप में नौकरशाही द्वारा डाली गई विभिन्न अड़चनों एवं अत्यन्त नकारात्मक प्रावधानों के विरुद्ध पुन: लम्बा संघर्ष करते हुए शिक्षक हितानुसार परिवर्तन करवाने जैसी निरन्तर सघन, कण्टकाकीर्ण मार्ग की यात्रा आप सब शिक्षक बंधु बहिनों के सहयोग, समर्थन एवं शुभेच्छाओं से ही लक्ष्य तक पहुँच पाई है।

2. **नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश** - संगठन की निरंतर सक्रियता एवं प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अंतत: वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26-9-2018 के द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के एवं शिक्षा ग्रुप-4 के आदेश दिनांक 1-10-2018 के द्वारा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों को यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के अनुसार सातवें वेतन आयोग के अनुरूप नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ प्रदान करने के आदेश प्रसारित किए गए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2017 माह में भेजे गए पत्र के साथ ही संगठन ने नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के संबंध में राज्य स्तर पर प्रयास करना शुरू किए थे । संगठन के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस संबंध में आने वाले वित्तीय भार की गणना विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के स्तर पर करवाने के आदेश जारी

किए गए। उसके बाद से ही रुक्टा (राष्ट्रीय) ने विभिन्न स्तरों पर लगातार दबाव बनाए रखा। मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा एवं वित्त से मिलकर प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर सातवाँ वेतन दिलवाने के लिए संगठन निरंतर प्रयासरत रहा। संगठन के पत्र पर मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस संबंध में समस्त प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृति, कैबिनेट स्वीकृति, मंत्रिमंडलीय आज्ञा, वित्त विभाग से आदेश जारी होने तक संगठन ने निरन्तर दबाव बनाए रखा। संगठन के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा यू.जी.सी. पे स्केल को 'एज इट इज' लागू किया गया है। संगठन के दबाव के चलते इस बार यू.जी.सी. वेतनमान बिना कोई कमेटी बनाए दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए यह नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश एक साथ एक ही दिन जारी हुए हैं।

3. **30 जून 2017 तक वरिष्ठ, चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 हेतु आदेश** - संगठन के निरंतर दबाव और हार न मानने वाले दृढ़ संकल्प के चलते आयुक्तालय द्वारा 13 दिसम्बर 2018 को 30 जून 2017 तक पात्र 273 शिक्षकों को पे बैंड-4, 164 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 23 शिक्षकों को चयनित वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए। इस प्रकार कुल 460 शिक्षकों को सी.ए.एस. योजना में लाभ मिला।

   30 जून 2017 तक सी.ए.एस. योजना में वरिष्ठ, चयनित वेतनमान एवं पे बैंड-4 हेतु पात्र शिक्षकों के लिए नियमों का सरलीकरण कर स्क्रीनिंग करवाने हेतु रुक्टा (राष्ट्रीय) ने भगीरथ प्रयास किए। इस संबंध में आवेदन पत्र मँगवाने से लेकर सी.ए.एस. की प्रक्रिया को सरलीकृत कर संपन्न करवाने के लिए भी संगठन ने नौकरशाही के साथ लंबी लड़ाई लड़ी। आचार संहिता लागू होने के पश्चात् भी संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा तथा राज्य निर्वाचन आयोग से निरंतर संपर्क में रहते हुए सी.ए.एस. की प्रक्रिया को संपन्न करवाने के गंभीर प्रयास किए। संगठन के निरंतर प्रयत्नों की परिणति में शासन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करवाने की प्रशासनिक अनुमति दी गई। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत फाइल को लोक सेवा आयोग भिजवाने तथा स्क्रीनिंग बैठक हेतु लोक सेवा आयोग से शीघ्र तिथि दिलवाने हेतु संगठन निरंतर प्रयासरत रहा और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के संपर्क में रहकर दबाव बनाए रखा। अन्ततः संगठन की सक्रियता के चलते 5 दिसम्बर 2018 को सी.ए.एस. हेतु स्क्रीनिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। इस विषय में कई मौकों पर बहुत मुश्किलें भी सामने आईं किंतु आप सबके प्रेम, विश्वास और शुभकामनाओं के परिणामस्वरूप अंततः लक्ष्य प्राप्त हुआ। कुछ शिक्षकों के सी.ए.एस. प्रकरण कतिपय कमियों के कारण रुके हुए हैं, उन्हें पूरा करवा कर शीघ्र ही शेष साथियों को भी लाभ दिलवाने के प्रयास संगठन ने प्रारम्भ किए हैं।

4. **यू.जी.सी.द्वारा नवीन रेगुलेशन जारी** - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी रेगुलेशन 2018 दिनांक 18 जुलाई 2018 को जारी किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और रुक्टा(राष्ट्रीय) के ढाई वर्ष से अधिक के संघर्ष का परिणाम है कि अंततः नवीन रेगुलेशन में शिक्षक हित की बहुत सी बातों को हम केंद्र सरकार से मनवा पाए। नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के लिए कमेटी गठित करवाने के प्रयासों से लेकर चौहान समिति, गुप्ता समिति, यू.जी.सी. अध्यक्ष, यू.जी.सी. सचिव तथा मानव संसाधन विकास मंत्री आदि संबंधित पक्षों के समक्ष तथ्यों और तर्कों के आधार पर मजबूती से और बार-बार शिक्षकों का पक्ष रखा गया। निरंतर पत्राचार, ज्ञापन और भेंटवार्ताओं में शिक्षकों की भावनाओं को संबंधित पक्षों तक पहुँचाया गया, उनकी माँगों के औचित्य को समझाया गया। रुक्टा (राष्ट्रीय) एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की निरंतर जागरुकता एवं दबाव के चलते नवीन यू.जी.सी. रेगुलेशन में कई शिक्षक हितकारी प्रावधान पहली बार हुए हैं। पिछले रेगुलेशन की ए.पी.आई.व्यवस्था को समाप्त कर सी.ए.एस. योजना को सरलीकृत करने, महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर सीमा के उल्लेख को समाप्त करने, स्नातक व स्नातकोत्तर प्राचार्य को प्रोफेसर ग्रेड देने, विश्वविद्यालय विभागों में सीनियर प्रोफेसर के पद सृजित करने, रिफ्रेशर/ ओरिएंटेशन कोर्स की छूट अवधि 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने, उच्च शिक्षा संस्थानों में ठहराव की अवधि 7 घंटे के स्थान पर 5 घंटे ही रखने तथा अध्यापन कार्य भार में से न्यूनतम शब्द हटाने, एक रेगुलेशन से दूसरे रेगुलेशन में स्मूथ मूवमेंट के लिए 3 वर्ष का विकल्प देने तथा सभी विश्वविद्यालयों से नवीन रेगुलेशन को 6 माह के भीतर लागू करने जैसे कई प्रावधान संगठन की सक्रियता से संभव हो पाये हैं।

5. **राज्य कर्मचारियों के समान ही मकान किराया भत्ता देने के आदेश** - राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए नवीन यू.जी.सी. वेतनमान जारी होते समय एच.आर.ए. व सी.सी.ए. आदि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके कारण असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। संगठन ने शासन को स्पष्ट रूप से शिक्षकों का पक्ष बताते हुए अवगत करवा दिया था कि एच.आर.ए. एवं सी.सी.ए. आदि भत्तों की दरें व लागू करने की तिथि अन्य

राज्य कर्मचारियों की भांति 1 अक्टूबर 2017 ही रखते हुए आदेश जारी किएँ जाए। संगठन इस विषय को लेकर निरंतर जागरुक एवं प्रयत्नशील रहा, फलस्वरूप वित्त विभाग की स्वीकृति पश्चात् शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग ने 16-11-2018 को महाविद्यालय शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2017 से अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति ही मकान किराया भत्ता एवं शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता देने संबंधी निर्देश आयुक्तालय के लिए जारी किए। जिसकी अनुपालना में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ने 26-11-2018 को इस आदेश के अनुरूप वेतन नियतन प्रपत्र तैयार करने के आदेश जारी कर दिये। उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग के आदेशों की तुलना में इस बार 24 माह पूर्व यह लाभ मिला है। छठे वेतनमान के समय अन्य राज्य कर्मचारियों की तुलना में हमें 13 माह का नुकसान झेलना पड़ा था।

6. **नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन नियतन प्रक्रिया प्रारम्भ** - वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतनमान में भी छठे वेतनमान के समान ही वेतन नियतन आयुक्तालय स्तर पर ही किये जाने के आदेश दिए गए, किन्तु एच.आर.ए. एवं सी.सी.ए. संबंधी निर्देशों की कमी के चलते पे फिक्सेशन का कॅलेंडर जारी नहीं किया गया था। संगठन के प्रयासों से भत्तें संबंधी अपेक्षित निर्देश जारी हुए। इन निर्देशों के जारी होने के उपरान्त संगठन ने शीघ्र पे फिक्सेशन कॅलेन्डर जारी करने हेतु दबाव बनाया। संगठन के प्रयासों की परिणति में आयुक्तालय द्वारा सभी महाविद्यालयों के लिए पे फिक्सेशन कॅलेंडर जारी कर नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में वेतन नियतन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

7. **आयुक्तालय एवं अन्य विभागों में नियुक्त/प्रतिनियुक्त एवं टी.आर.एफ./पी.डी.एफ. आदि योजनाओं में स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ए.पी.आई. अंकों में छूट के आदेश** - राज्य सरकार की 8 मई 2013 को प्रसारित सी.ए.एस. योजना के अनुसार आयुक्तालय में पदस्थापित/विभिन्न स्थानों पर प्रतिनियुक्त शिक्षकों के लिए एवं टी.आर.एफ./ पी.डी.एफ./रिफ्रेशर/ओरिएंटेशन कोर्सेज आदि योजनाओं हेतु अवकाश एवं मेडिकल लीव/एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आदि सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के उपरांत भी इस अवधि में शिक्षकों के लिए वरिष्ठ/चयनित वेतनमान तथा पे बैंड 4 हेतु शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों के न्यूनतम ए.पी.आई.अंक की आवश्यकता का प्रावधान किया हुआ था। संगठन के संज्ञान में आने के पश्चात् इस विषय को विभिन्न प्लेटफार्म पर उठाया गया। राज्य सरकार से भेंटवार्ताओं व पत्रों के माध्यम से अपेक्षित संशोधन करने की माँग की गई। संगठन द्वारा शासन के समक्ष तर्कों व तथ्यों के साथ शिक्षकों का पक्ष रखा गया कि इन शिक्षकों द्वारा उक्त श्रेणियों में अपेक्षित अंक प्राप्त करना संभव नहीं है। रुक्टा (राष्ट्रीय) द्वारा यह विषय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संज्ञान में भी लाया गया। महासंघ ने यह विषय यू.जी.सी. अध्यक्ष के समक्ष रखा तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु दबाव बनाया। महासंघ के प्रयासों से यू.जी.सी. द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। संगठन द्वारा यू.जी.सी. का यह स्पष्टीकरण उच्च शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समुचित निर्देश जारी करने की माँग की गई ताकि शिक्षकों के मध्य असमंजस खत्म होकर उन्हें न्याय मिल सके। संगठन की मांग पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा अन्ततः 28 सितम्बर 2018 को यू.जी.सी. के पत्रानुसार ए.पी.आई. अंकों में छूट के आदेश जारी किए गए।

8. **रिफ्रेशर/ऑरिएन्टेशन कोर्स हेतु छूट अवधि 31 दिसम्बर 2018 बढ़ाने के आदेश** - नवीन यू.जी.सी. रेगुलेशन में रुक्टा (राष्ट्रीय) एवं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रयासों से ऑरिएटेशन व रिफ्रेशर कोर्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया । संगठन ने इस विषय में लंबे समय से माँग राज्य सरकार व केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी। नवीन रेगुलेशन में प्रावधान होने के बाद संगठन में उच्च शिक्षा मंत्री जी से इस संबंध में शीघ्र आदेश जारी करने की माँग की थी। संगठन के लगातार प्रयत्नों के परिणामस्वरूप इस विषय में सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय ले लिया गया तथा 28 सितम्बर 2018 को शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग द्वारा आदेश जारी कर ऑरिएन्टेशन व रिफ्रेशर कोर्स की छूट अवधि 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ा दी। इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु संगठन ने पूर्व में यू.जी.सी. को भी पत्र लिखा था। यू.जी.सी. ने इस संदर्भ में 16 अक्टूबर 2018 को पुनः स्पष्टीकरण जारी कर दिया। इसके जारी होने से संबंधित शिक्षकों को न्याय तथा समय पर उनका वित्तीय अधिकार मिल सकेगा।

9. **30 जून 2015 तक शेष पात्र शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत** - 30 जून 2015 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु पात्र शिक्षकों में से कतिपय कारणों से लंबित रहे प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर इन शिक्षकों को वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान देने हेतु संगठन ने निरन्तर दबाव बनाया था। संगठन के प्रयासों की परिणति में दिनांक 24-1-2018 को स्क्रीनिंग समिति की बैठक जयपुर में सम्पन्न हुई। समिति की अनुशंसा पर 79 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 68 शिक्षकों को चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गए।

10. **सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों को पूर्व प्रचलित नियमों से लाभ देने के आदेश** - जून 2013 के बाद पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों के ए.पी.आई.अंक निर्धारण में अनेक समस्याएँ आईं थीं। संगठन के पास यह विषय पहुँचने के बाद

संगठन ने निरंतर इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष शिक्षकों का पक्ष तथ्यों और तर्कों के साथ रखा। कार्मिक, वित्त एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की विभिन्न आपत्तियों का समुचित समाधान करने में संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई। फलत: मई 2013 में राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार ए.पी.आई.अंक गणना करने के आदेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी हुए जिससे 30 जून 2017 तक पात्र अधिकांश शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ मिल सका।

11. **नवीन नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करवाने हेतु प्रयास** – संगठन ने राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं सरकार के विभिन्न स्तरों पर निरंतर संपर्क व दबाव बनाकर महाविद्यालयों में नवीन नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करवाने हेतु कठोर परिश्रम किया है। सरकार के सहयोग एवं संगठन के प्रयासों से मनोविज्ञान, गणित, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, जियोलॉजी, उर्दू, भौतिक शास्त्र, चित्रकला, फारसी, विधि, समाजशास्त्र, वनस्पति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, संस्कृत, ए.बी.एस.टी., प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, हिंदी साहित्य, लोक प्रशासन, इतिहास आदि विषयों में 900 से अधिक शिक्षकों के अंतिम नियुक्ति आदेश जारी हुए। अधिकांश स्थानों पर शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया, किन्तु आदर्श आचार संहिता लग जाने के कारण कुछ स्थानों पर प्राचार्यगण द्वारा नए शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाने में असमर्थता जताई गई। संगठन के संज्ञान में आते ही इस विषय को लेकर संगठन ने प्रयास प्रारंभ किए तथा विषय को सरकार के ध्यान में लाते हुए नव चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करवाने की माँग की गई । संगठन की माँग से सहमत होते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार संपन्न समिति ने नवचयनित शिक्षकों को, जिनके नियुक्ति आदेश, आचार संहिता लागू होने से पूर्व जारी हो चुके थे, कार्यभार ग्रहण करवाने हेतु स्वीकृति जारी कर दी।

12. **राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान** – सरकार द्वारा इस वर्ष 12 शिक्षकों एवं दो महाविद्यालयों को उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं उल्लेखनीय कार्य हेतु सम्मानित किया गया। पिछले 3 वर्षों से संगठन द्वारा इस विषय को शासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया था। संगठन की माँग से सहमत होते हुए उच्च शिक्षा मंत्री जी ने बीकानेर अधिवेशन में उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को राज्यस्तर पर सम्मानित करने की घोषणा की थी। संगठन का मत रहा है कि हम शिक्षक सम्मान के लिए कार्य नहीं करते, किन्तु अच्छे कार्य को महत्व देने से शिक्षक उत्साह व प्रेरणा पाते हैं तथा समाज में शिक्षक के प्रति एक अच्छा वातावरण निर्मित होता है। संगठन के प्रयत्नों से अंतत: उच्च शिक्षा के इतिहास में शिक्षकों के योगदान का पहली बार सार्वजनिक रूप से सम्मान हुआ है। उच्च शिक्षा में इस तरह के एक सकारात्मक कदम की शुरुआत हुई है जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने भी सराहते हुए केंद्र स्तर पर लागू करने की मंशा व्यक्त की है।

13. **पे मैनेजर में नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप संशोधन** – संगठन के प्रयत्नों से नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश तो जारी हुए किन्तु वेतन नियतन में एक अड़चन पे मैनेजर पर नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पे मैट्रिक्स के नहीं होने से संबंधित थी। इस समस्याओं को संगठन ने विस्तृत प्रतिवेदन आयुक्त कॉलेज शिक्षा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) एवं वित्त विभाग तक पहुँचाया तथा निरंतर इस संबंध में शीघ्र निर्णय करवाने के लिए संगठन लगा रहा। संगठन की सक्रियता के चलते पे मैनेजर में नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पे मैट्रिक्स एन.आई.सी. द्वारा संशोधित की गई, फलस्वरूप आयुक्तालय द्वारा शिक्षकों के क्रमश: वेतन नियतन प्रारम्भ हुए। पे मैनेजर में एक अन्य विसंगति पदनाम परिवर्तन की है। यह प्रक्रिया आई.एफ.एम.एस. द्वारा की जानी थी, संगठन द्वारा उन्हें पदनाम परिवर्तन संबंधी अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, किन्तु प्रत्येक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की अलग-अलग संख्या निश्चित नहीं होने से अपेक्षित संशोधन नहीं हो पाया है। संगठन ने इस संबंध में दोनों पदों की संयुक्त संख्या को निश्चित करने का सुझाव सरकार को दिया है।

14. **प्राचार्य पद हेतु उचित नियम बनाने के संबंध में कार्यवाही** – प्राचार्य/उपाचार्य पद की डी.पी.सी. समय पर करवाने हेतु संगठन निरन्तर प्रयासरत रहा, किन्तु ए.सी.आर. संबंधी कतिपय कमियों एवं बाद में पदनाम परिवर्तन के नियम बनने की प्रक्रिया में कार्मिक विभाग की आपत्ति के चलते डी.पी.सी. प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। इस बीच अधिकारियों ने प्राचार्य पद हेतु ए.पी.आई. व्यवस्था नियमों में लाने का पुन: प्रस्ताव किया, संगठन को पता चलते ही इस संबंध में कड़ी आपत्ति जताते हुए इस प्रस्ताव को वापिस लेने की माँग की गई। संगठन के तर्कों से सहमत होते हुए सरकार द्वारा ए.सी.आर. व वरिष्ठता के आधार पर नियम बनाकर पीएच.डी. धारक पात्र शिक्षकों को प्राचार्य पद हेतु पात्र मानने संबंधी निर्देश जारी किए गए।

15. **कनिष्ठ सहायकों व प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के प्रयास** – राजकीय महाविद्यालयों में अशैक्षणिक स्टॉफ की कमी की समस्या को संगठन ने नियमित रूप से सरकार के समक्ष उठाया है तथा पदों को भरने की माँग की है। संगठन के निरन्तर प्रयत्नों के चलते कनिष्ठ सहायकों एवं प्रयोगशाला सहायकों हेतु काउन्सलिंग हुई तथा 4-4-2018 को 25 कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति कर दी गई। प्रयोगशाला सहायकों की काउन्सलिंग के बाद

कतिपय अधिकारियों की टिप्पणियों के आधार पर प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्तियाँ रोक दी गई थीं। संगठन के संज्ञान में आते ही उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर संपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए तथा इस विषय में नियुक्ति करवाने हेतु निरंतर संघर्ष किया। परिणामत: 2 अगस्त 2018 को 93 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति आदेश जारी कर किए गए। संगठन ने सरकार से माँग की है कि नवीन कार्यभार के अनुरूप सभी श्रेणी के मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न कर नियुक्ति प्रदान की जाए।

16. **पे माइनस पेंशन आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आदेश** – लोकसेवा आयोग से चयन प्रक्रिया में विभिन्न कारणों से विलम्ब होने के चलते रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु संगठन ने पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए भी दबाव बनाया। वित्त विभाग की कतिपय आपत्तियों पर संगठन द्वारा समुचित पक्ष प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप आयुक्तालय द्वारा 1 अगस्त 2018 को पे माइनस पेंशन के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु आदेश जारी किए गए।

17. **प्राचार्यों के वेतनवृद्धि आदेश** – महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वेतन वृद्धि आदेश आयुक्तालय द्वारा जारी किए जाते हैं। पिछले कई वर्षों से प्राचार्यों के वेतन वृद्धि आदेश जुलाई माह के स्थान पर 3 से 4 माह विलम्ब से प्रसारित हो रहे थे जिसके कारण उन्हें अपना वित्तीय अधिकार देरी से मिल रहा था। संगठन के प्रयासों से पिछले वर्ष उक्त आदेश जुलाई माह में प्रसारित हो गए थे। इस बार भी संगठन के प्रयासों से गत 10 जुलाई को महाविद्यालयों के प्राचार्यों के वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश प्रसारित हो गए।

18. **पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हेतु नियम स्वीकृत** – रुक्टा(राष्ट्रीय) शिक्षकों की समस्याओं के साथ-साथ राज्य की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी निरंतर संघर्षरत रहा है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने में एक समस्या यह है कि अधिकांश महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक नहीं हैं। पिछले वर्षों में संगठन ने इस विषय को लेकर निरंतर सरकार पर दबाव बनाया। पिछले कुछ वर्षों से पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों के भर्ती नियमों में संशोधन की आड़ में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। संगठन ने इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री एवं अधिकारियों को बार-बार मिलकर समुचित तथ्य उपलब्ध कराए थे तथा शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई संपन्न करने की माँग की थी। संगठन के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप 1992 के बाद पहली बार पुस्तकालयाध्यक्षों के 183 पद तथा शारीरिक शिक्षकों के 195 पदों पर भर्ती के लिए नियमों को अंतिम रूप से स्वीकृत कर दिया गया। हालाँकि लोक सेवा आयोग द्वारा संपूर्ण चयन/भर्ती प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है किंतु अंतत: शासन से निरंतर संघर्ष करने का परिणाम निकला है।

19. **पूर्व में स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाने हेतु प्रयास** – जुलाई माह में कई शिक्षक बंधु-बहिनों के इच्छित स्थान हेतु स्थानांतरण आदेश तो जारी हुए किन्तु शून्य पोस्टिंग की शर्त के कारण वे कार्यमुक्त नहीं हो पाए। संगठन के संज्ञान में आने पर उच्च शिक्षा मंत्री जी से मिलकर इसका समाधान निकालने हेतु संगठन ने दबाव बनाया। संगठन के प्रयासों से पे माईनस पेंशन आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों के अस्थाई नियुक्ति के आदेश निकले तथा लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आदि के फलस्वरूप कई स्थानांतरित शिक्षक अपने इच्छित स्थान हेतु कार्यमुक्त हो सके। इसके बाद भी कुछ स्थानों पर नवीन नियुक्ति नहीं होने या पेमाइनस पेंशन के आधार पर किसी शिक्षक द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण कुछ शिक्षक इच्छित स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं हो पाए। संगठन ने उच्च शिक्षा मंत्रीजी से मिलकर संबंधित शिक्षकों को राहत दिलाने की माँग की। संगठन के निरन्तर प्रयत्नों के चलते आयुक्तालय द्वारा पूर्व स्थानान्तरित आदेशों में उल्लेखित शून्य पोस्टिंग की शर्त को हटाकर संशोधित आदेश जारी कर दिए।

20. **कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाने हेतु प्रयत्न** – राज्य के छोटे एवं दूरस्थ महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने के कारण आयुक्तालय द्वारा अन्य महाविद्यालयों से 30 कार्य दिवस हेतु शिक्षकों को कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया था। गत 6 अक्टूबर को आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण कुछ स्थानों पर कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए। शिक्षकों की कार्य अवधि पूर्ण होने अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नए शिक्षक के कार्यग्रहण करने के बाद भी शिक्षकों को मूल महाविद्यालय के लिए रिलीव नहीं किया गया। संगठन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) एवं आयुक्त (कॉलेज शिक्षा) को पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग एवं मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश का हवाला दिया कि 5 अक्टूबर तक जारी नियुक्ति आदेश/स्थानान्तरण आदेश आदि का क्रियान्वयन आचार संहिता में किया जा सकता है। महाविद्यालयों में शिक्षकों के कार्यव्यवस्थार्थ आदेश भी उक्त तिथि से पूर्व के होने के कारण कार्यव्यवस्थार्थ अवधि समाप्ति पर उन्हें मूल महाविद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने हेतु निर्देश जारी करने की माँग संगठन द्वारा की गई। संगठन के प्रयासों से शिक्षकों को अपेक्षित राहत प्रदान की गई।

21. **यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 की विसंगतियों के सबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत** – संगठन द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विसंगति निवारण समिति के समक्ष यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 में रही न्यूनताओं को लेकर शिक्षकों का विस्तृत पक्ष प्रस्तुत किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु पीएच.डी. की अनिवार्यता, विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर (सलेक्शन ग्रेड/एकेडमिक लेवल 12) पद पर पदोन्नति हेतु पीएच.डी. की अनिवार्यता, विश्वविद्यालयों में 1 जुलाई 2021 के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएच.डी. डिग्री को अनिवार्य किए जाने तथा पीएचडी हेतु अध्ययन अवकाश को पदोन्नति के लिए अध्यापन अनुभव के रूप में नहीं जोड़ने पर संगठन ने आपत्ति उठाते हुए विस्तृत तथ्यों के साथ शिक्षकों का पक्ष रखा है।
संगठन ने कॉन्फ्रेंस में भाग लेने, कॉन्फ्रेंस में पोस्टर प्रजेंट करने, लोकप्रिय लेख लिखने, राज्यों एवं केंद्र के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों/विश्वविद्यालयों तथा ऐसी ही संस्थाओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों में लेखक होने, किसी पत्रिका या जर्नल का संपादक होने आदि के शोधांकों की व्यवस्था भी यू.जी.सी. रेगुलेशन में करने का मुद्दा उठाया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के शॉर्टलिस्टिंग करने के मापदंडों को अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने, पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षकों की सेवा शर्तों, पदोन्नति, पेंशन परिलाभ, वेतनमान आदि को शिक्षकों के समान ही रखने व उचित शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात लागू करने की माँग संगठन द्वारा की गई। राज्यपोषित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान लागू करने के लिए आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का न्यूनतम 80 प्रतिशत 5 वर्षों तक वित्तीय सहायता के रूप में केंद्र से जारी करने, प्रत्येक अकादमिक लेवल के लिए इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन न्यूनतम 2.72 रखने, अकादमिक लेवल 10 के स्थान पर 11 और इसी प्रकार अकादमिक लेवल 11, 12, 13ए व 14 के स्थान पर क्रमशः 12, 13ए, 14, 15 करने हेतु भी संगठन द्वारा दबाव बनाया गया है।

22. **नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने की माँग** – संगठन ने नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करवाने हेतु प्रयास प्रारम्भ कर दिये हैं। संगठन द्वारा 1-1-2016 से 31-12-2016 तक की अवधि का एरियर भुगतान करने, यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के अनुरूप स्नातक प्राचार्य को अकादमिक लेवल 13ए के स्थान पर 14 का लाभ दिए जाने, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत प्रोबेशनर ट्रेनी का वेतन 42500/- करने तथा नवीन यू.जी.सी. वेतनमान में दो या दो से अधिक स्तरों की Bunching होने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना प्रारम्भ किया गया है।

23. **असिस्टेंट प्रोफेसर के 830 पदों हेतु अभ्यर्थना प्रेषित** – संगठन के निरन्तर दबाव के चलते राजकीय महाविद्यालयों में 31 दिसम्बर 2018 तक रिक्त होने वाले 830 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों हेतु राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेज दी। संगठन ने अधिकारियों व मंत्री जी के साथ हुई विभिन्न भेंटवार्ताओं और पत्रों में निरंतर इस विषय को उठाया था और दबाव बनाया था। संगठन की निरन्तर सक्रियता एवं राज्य सरकार के सकारात्मक रुख के चलते इस प्रकार के भविष्यलक्षी निर्णय लिए गए हैं, फलतः महाविद्यालयों को उचित समय पर अपेक्षित संख्या में शिक्षक मिलने की संभावना बनी है।

24. **विधानसभा चुनावों में महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी गरिमानुरूप लगाने हेतु प्रयास** – इस विधानसभा चुनाव हेतु कुछ स्थानों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी पद व वेतन के अनुसार नहीं लगाई गई। संगठन के संज्ञान में आने पर महाविद्यालय शिक्षकों की ड्यूटी पद, वेतन व वेतनमान के अनुरूप गरिमानुसार लगाने की माँग मजबूत एवं तार्किक ढंग से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखी गई। संगठन की स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भी जिला निर्वाचन अधिकारियों से मिलकर विरोध दर्ज कराया। संगठन के प्रयासों से कई शिक्षकों की ड्यूटी या तो निरस्त की गई या पद, वेतन व वेतनमान के अनुसार लगाई गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भी समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी किया गया कि चुनाव ड्यूटी में पद की गरिमा और वरिष्ठता का ध्यान रखा जाए।

25. **विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि से देने के संबंध में प्रयास** – संगठन द्वारा राज्य शासन एवं समस्त कुलपतिगण से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ उनकी पात्रता तिथि से ही दिए जाने की माँग की गई। संगठन ने यह आपत्ति दर्ज करवाई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्पष्ट निर्देश होने एवं राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में उसी अनुरूप सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि से दिए जाने के बावजूद कतिपय विश्वविद्यालयों में सी.ए.एस. का लाभ प्रबन्धमंडल के अनुमोदन तिथि से दिया जाना या नोशनल दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। संगठन शिक्षकों को यह न्यायोचित अधिकार दिलवाने हेतु प्रयासरत है।

26. **प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हेतु प्रयास** – संगठन प्रोफेसर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करवाने हेतु प्रयासरत रहा। संगठन के प्रयासों से आयुक्तालय द्वारा 2002 तक नियुक्त शिक्षकों की विषयवार वरिष्ठता सूची का

प्रकाशन हुआ है। फलस्वरूप प्रोफेसर पद पर पदोन्नति हेतु एक कदम आगे बढ़े हैं।

27. **प्रतिदिन उपस्थिति ई-मेल द्वारा भेजने का विरोध** - आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक प्रारूप भेजकर कक्षावार, वर्गवार, संकायवार एवं कालांशवार विद्यार्थियों की उपस्थिति सूचना एक्सेल शीट में प्रतिदिन आयुक्तालय को भेजने के आदेश प्रसारित किए गए। संगठन द्वारा इस आदेश को पूर्णत: अव्यावहारिक एवं अनावश्यक रूप से महाविद्यालयों के दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों को आयुक्तालय पर केन्द्रित करने का प्रयास बताते हुए वापस लेने की माँग की गई। संगठन द्वारा सरकार को बताया गया कि अधिकांश महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों की भारी कमी है। महाविद्यालयों में संसाधनों की अल्पता है जबकि गैर शैक्षणिक कार्य निरन्तर बढ़े हैं, अत: उचित यह होगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता की ओर ध्यान देने के लिए उचित व्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए शिक्षण कार्य हेतु अधिकाधिक अनुकूल माहौल निर्माण किया जाए।

28. **कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गये शिक्षकों को विराम भत्ता देने हेतु प्रयास** - आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने विभिन्न आदेशों से शिक्षकों को सीमित अवधि पर अन्यत्र कार्यव्यवस्थार्थ लगाने पर उन्हें केवल एक बार का यात्रा भत्ता ही दिए जाने एवं कार्य व्यवस्थार्थ अवधि का विराम भत्ता नहीं देने का संगठन द्वारा जोरदार विरोध दर्ज करवाया गया। संगठन ने उक्त आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए आपत्ति व्यक्त की कि राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी सेवाओं में राजकार्य से मुख्यालय से अन्यत्र जाने पर यात्रा भत्ता के साथ नियमानुसार राजकार्य अवधि का डी.ए. दिया जाता है। संगठन द्वारा सरकार के ध्यान में लाया गया कि राजस्थान सेवा नियमों में कार्यव्यवस्थार्थ लगाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिनियुक्ति पर लगाया जाता है, जिसमें नियमानुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता इत्यादि देय होते हैं। इस प्रकार कार्यव्यवस्थार्थ लगाए जाने के आदेश ही मूलत: नियम विरुद्ध हैं।

## भेंटवार्ताएँ

शिक्षा एवं शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण कराने हेतु संगठन ने समय-समय पर मंत्रिगणों एवं अधिकारियों के साथ भेंट कर संगठन का विस्तृत पक्ष रखा। फलत: कई समस्याओं के हल मिले एवं कई समस्याओं के समाधान में प्रगति हुई।

1. **मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी से भेंट** - संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी से 5 अगस्त 2018 को भेंट कर पदनाम परिवर्तन हेतु आभार व्यक्त किया एवं नवीन यू.जी.सी. वेतनमान शीघ्र देने की माँग की। मुख्यमंत्री जी ने संगठन की माँग पर अधिकारियों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान हेतु शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस भेंट में मुख्यमंत्रीजी के कहे अनुसार अन्तत: बिना कमेटी बनाए यू.जी.सी. वेतनमान के आदेश जारी हुए।

2. **उच्च शिक्षा मंत्रीजी एवं विभाग के अधिकारियों से भेंट** - शिक्षक समस्याओं को हल करवाने हेतु संगठन उच्च शिक्षा मंत्री जी के निरन्तर सम्पर्क में रहा और नियमित अंतराल पर भेंटवार्ताएँ कीं। संगठन द्वरा उच्च शिक्षा मंत्री जी से 27 मार्च, 18 मई, 30 जुलाई, 5 अगस्त, 20 अगस्त एवं 9 सितम्बर 2018 को भेंट कर पूर्व में लम्बित एवं तात्कालिक समस्याओं का समाधान करवाने हेतु दबाव बनाए रखा। 27 मार्च व 30 अगस्त को मंत्री जी के साथ सम्पन्न विस्तृत बैठकों में अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा, संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा व विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

संगठन की सक्रियता के चलते मंत्रीजी द्वारा अधिकारियों से विभिन्न समस्याओं के हल हेतु प्रगति जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गए। संगठन द्वारा की गए भेंटवार्ताओं में नवीन यू.जी.सी. वेतनमान शीघ्र देने, 30 जून 2013 के बाद पात्र शिक्षकों को पे बैंड-4 देने, पे बैंड 4 हेतु पात्र शिक्षकों पर यू.जी.सी. नियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करने, कार्यव्यवस्थार्थ लगाए गए शिक्षकों को विरामभत्ता देने, स्वीकृत अवकाश व प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए तथा आयुक्तालय में पदस्थ शिक्षकों को ए.पी.आई. अंकों में छूट देने, रिफ्रेशर व ऑरिएन्टेशन कोर्स की छूट अवधि बढ़ाने, जून 2015 तक बकाया वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु पात्र शिक्षकों की स्क्रीनिंग करवाने, आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों के बकाया सी.ए.एस. लाभ दिलवाने, यू.जी.सी. नियमानुसार सभी पात्र शिक्षकों को पूर्व सेवा का लाभ देने, शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रयोगशाला सहायकों एवं अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने, पीएच.डी. हेतु कोर्स वर्क से छूट अथवा सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था करने, जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य ड्यू वेतन वृद्धि वाले शिक्षकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने, पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों के पूर्व बकाया की समस्या का स्थाई समाधान करने, प्राचार्य एवं उपप्राचार्य पद हेतु डी.पी.सी. प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करवाने, प्रोफेसर पद पर पात्र शिक्षकों को शीघ्र पदोन्नत करने, 30 जून 2018 तक सी.ए.एस. हेतु पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्र मँगवाने, विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ पात्रता

तिथि से देने, पे माईनस पेंशन पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को नियुक्त करने, लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को क्रमानुसार अविलम्ब नियुक्ति देने, लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया को गति देने, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हेतु गुड एकेडमिक रिकार्ड की परिभाषा ठीक करने, शारीरिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करने, बायोमेट्रिक उपस्थिति व प्रतिदिन ई-मेल से छात्र उपस्थिति के स्थान पर व्यवहारिक सुधार करने, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों को शीघ्र पदस्थापन हेतु बिना पुलिस वेरिफिकेशन शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति देने, एम.फिल. व पीएच.डी. प्रोत्साहन वेतन वृद्धियाँ पुनः प्रारम्भ करने, प्रोबेशनर शिक्षकों को नियमित सेवा के समस्त लाभ देने, नवीन कार्यभार के अनुरूप पद सृजित करने, शारीरिक शिक्षकों के पदनाम बदलने, पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों को संगोष्ठियों में भाग लेने हेतु अकादमिक अवकाश देने, संविदा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने आदि विषयों पर विस्तृत रूप से शिक्षकों का पक्ष रखा गया।

3. **सी.एम.ओ. के अधिकारियों से भेंट** – संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 30 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख शासन सचिव श्री तन्मय कुमार एवं संयुक्त सचिव श्री वी. एस. बाँकावत से विस्तृत भेंट कर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान अविलंब देने की माँग की। श्री तन्मय कुमार द्वारा बताया गया कि संगठन के पत्र पर कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान देने पर होने वाले वित्तीय भार की गणना करवा ली गई है तथा संगठन की भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिया गया है। इस भेंट के फलस्वरूप नवीन यू.जी.सी. वेतनमान देने में गति आई।

4. **लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से भेंट** – संगठन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम गर्ग से 11 जनवरी 2018 को एवं श्री दीपक उप्रेती से 10 अगस्त 2018 को भेंट कर महाविद्यालय शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की माँग की गई। संगठन द्वारा उन्हें बताया गया कि राज्य की महाविद्यालय शिक्षा में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त रहने के कारण न केवल योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है बल्कि महाविद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पहले से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे महाविद्यालयों से शिक्षकों को अन्य स्थानों पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य में लोक सेवा आयोग द्वारा अत्यन्त धीमी गति से चयन प्रक्रिया का सम्पन्न होना आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। डॉ. गर्ग एवं श्री उप्रेती ने प्रतिनिधिमण्डल का विश्वास दिलाया कि महाविद्यालय शिक्षकों की चयन प्रक्रिया को प्राथमिकता से लेकर शीघ्र सम्पन्न करवाने के प्रयास किया जाएगा। संगठन के प्रयत्नों के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया में अपेक्षित तेजी आई तथा महाविद्यालयों को 900 से अधिक शिक्षक मिले।

## लिखे गए पत्र

1. संगठन की कार्यपद्धति रही है कि अपनी बात को शासन व प्रशासन के समक्ष रखते समय समुचित तथ्यों व तर्कों के साथ लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। संगठन केवल व्यक्तिगत सम्पर्क के आधार पर मौखिक बातें करने में विश्वास नहीं रखता क्योंकि फाइल में कागज पर ही कार्यवाही एवं निर्णय होते हैं। इस तकनीकी सत्य को संगठन ने सदैव ध्यान रखा है और इसलिए मंत्रिगणों/अधिकारियों से हुई भेंटवार्ताओं में शिक्षक समस्याओं के संबंध में विस्तृत तथ्यों सहित लिखित-पत्र प्रस्तुत किए ही हैं, साथ ही विभिन्न लम्बित तथा तात्कालिक सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षामंत्री, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यू.जी.सी. अध्यक्ष, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), आयुक्त कॉलेज शिक्षा, विश्वविद्यालयों के कुलपतिगणों सहित अन्य अधिकारियों से निरन्तर पत्राचार कर त्वरित समाधान की माँग की गई। संगठन द्वारा लिखे पत्रों के कारण कई व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं का समाधान हुआ है एवं कई पत्रों पर कार्यवाही चल रही है। संगठन द्वारा लिखे गए पत्रों में मंत्रिगणों व अधिकारियों से भेंटवार्ताओं में उल्लेखित विषयों पर तो विस्तृत पत्र, ज्ञापन एवं स्मरण-पत्र सम्मिलित हैं ही, इसके अतिरिक्त पे-बैंड 4 के आवेदन पत्र को नियम व न्याय संगत बनाने, महाविद्यालय में अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा केन्द्र खोलने, नवीन खोले गए स्नातकोत्तर विभागों में प्रोफेसर पद का सर्जन करने, सुखाड़िया विश्वविद्यालय परीक्षा में आंतरिक फ्लाईंग रखने व स्वयंपाठी विद्यार्थियों को प्रवेश देने, बृज विश्वविद्यालय भरतपुर में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की ए.सी.आर. अग्रेषित करने, पे माइनस पेंशन पर आर.वी.आर.ई.एस. शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों व शारीरिक शिक्षकों को भी रखने, वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान के एरियर भुगतान हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने, बाँसवाड़ा में कृषि संकाय कृषि विश्वविद्यालय के अधीन प्रारम्भ करने, नवीन यू.जी.सी. वेतनमानों में विसंगति दूर करने, एचआरए सीसीए आदि भत्तों के संबंध में समुचित आदेश जारी करने, यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पे मैनेजर में संशोधन करने, विधानसभा चुनावों में महाविद्यालय

शिक्षकों की ड्यूटी गरिमानुरूप लगाने, बी.एड. शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान देने, सेवानिवृत्त शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनामान के अनुरूप पेंशन आदेश जारी करने, संस्कृत शिक्षकों को सी.ए.एस. लाभ देने तथा उनकी स्क्रीनिंग करने, आर.वी.आर.इ.एस. शिक्षकों को परिवर्तित पदनाम से ही शासकीय आदेशों में लिखने, नवीन यू.जी.सी. वेतनमान हेतु वेतन नियतन कॅलैण्डर घोषित करने, यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 की विसंगतियों को दूर करने सहित शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं के संबंध में भी विस्तार से पत्र लिख कर समाधान के प्रयास संगठन द्वारा किये गए हैं।

बीकानेर अधिवेशन के पश्चात् शिक्षक समस्याओं के समाधान हेतु संगठन ने निरन्तर सक्रियता, जागरुकता एवं कर्मठता से अपने दायित्वों को निभाया है। भेंटवार्ताओं, बैठकों, ज्ञापनों व पत्रों के माध्यम से संगठन ने सरकार के समक्ष शिक्षकों की भावनाओं का तार्किक एवं तथ्यपूर्ण प्रस्तुतीकरण कर शिक्षक-हितार्थ घनीभूत प्रयास किये हैं। आप सब शिक्षक साथियों के सहयोग-समर्थन एवं साथ से कई लंबित एवं तात्कालिक समस्याओं के हल निकले हैं या हम हल के निकट पहुँचे हैं। पिछले अधिवेशन के बाद पदनाम परिवर्तन, नवीन यू.जी.सी. वेतनमान, 30 जून 2017 तक सी.ए.एस. का लाभ, नवीन नियुक्तियाँ, रिफ्रेशर ओरिएन्टेशन कोर्स में 31 दिसम्बर 2018 तक छूट, प्रतिनियुक्ति व स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ए.पी.आई. में छूट, उच्च शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के सम्मान सहित, केन्द्रीय स्तर पर यू.जी.सी. रेग्युलेशन में अनेक शिक्षक हितकारी प्रावधान जैसी महत्त्वपूर्ण एवं एतिहासिक उपलब्धियाँ मिली हैं। किन्तु इससे हम संतुष्ट होकर बैठने वाले नहीं है, अभी कई महत्त्वपूर्ण समस्याएँ बाकी हैं। निरन्तर एवं परिस्थिति निरपेक्ष कर्म एवं संघर्ष रुक्टा (राष्ट्रीय) की पहचान हैं। समस्याओं के समाधान का पथ कितना ही लंबा, मुश्किल या कण्टकाकीर्ण ही क्यों न हो, इस यात्रा में रुक्टा (राष्ट्रीय) थकने, रुकने, बैठने या समझौता करने वाला नहीं है। संगठन राष्ट्रहित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक और शिक्षक हित में समाज के ध्येय को लेकर निरन्तर बढ़ते चलने हेतु संकल्पबद्ध है।

## सांगठनिक एवं वैचारिक गतिविधियाँ

1. **56वाँ प्रांतीय अधिवेशन** - संगठन का 56वाँ प्रान्तीय अधिवेशन 8-9 जनवरी 2018 को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में सम्पन्न हुआ। अधिवेशन में सम्पूर्ण राज्य से राजकीय महाविद्यालयों, निजी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 1900 से अधिक संभागियों ने भाग लिया। अधिवेशन के संभागियों में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, कॉलेज शिक्षा संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक सहित सेवानिवृत्त शिक्षक भी सम्मिलित थे। 8 जनवरी 2018 को अधिवेशन के प्रथम सत्र में संगठन के संस्थापक महामंत्री प्रो. सत्यदेव देराश्री की स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध विचारक प्रो. राकेश सिन्हा रहे। सत्र की अध्यक्षता महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रो. भगीरथ सिंह ने की। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण जी माहेश्वरी, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो. जे. पी. सिंघल जी एवं स्वागताध्यक्ष प्रो. बी. आर. छीपा जी रहे।

अधिवेशन के प्रथम दिवस सायंकाल खुला सत्र एवं साधारण सभा का आयोजन किया गया। इस सत्र में शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा शिक्षक समस्याओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। महामंत्री ने वर्ष भर में संगठन द्वारा शिक्षक समस्याओं के समाधान में अर्जित उपलब्धियों एवं गतिविधियों तथा सम्पन्न सांगठनिक-वैचारिक कार्यक्रमों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात् प्रान्तीय अंकेक्षक डॉ. महेन्द्र गोखरु ने 31 मार्च 2017 को सम्पन्न वित्तीय वर्ष का आय-व्यय लेखा व चिट्ठा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। साधारण सभा द्वारा तीन प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए - 1. मानवाधिकारों का संरक्षण कर्त्तव्य पालन में ही है। 2. नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त हो उच्च शिक्षा। 3. शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए। इसके अतिरिक्त साधारण सभा द्वारा सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि अधिवेशन के स्ववित्तपोषित होने एवं उस पर हो रहे व्यय में प्रत्येक शिक्षक की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आगामी सत्र से सदस्यता शुल्क के साथ अधिवेशन शुल्क का संग्रहण हो। साधारण सभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि सत्र 2018-19 से 100/- सदस्यता शुल्क के साथ 100/-अधिवेशन शुल्क प्रत्येक सदस्य से संग्रहित किया जाए तथा अधिवेशन का पंजीयन शुल्क 200/- के स्थान पर 100/-रखा जाए। साधारण सभा ने यह प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से स्वीकृत किया कि संगठन की गतिविधियों हेतु एक स्थान लेने के लिए ट्रस्ट बनाकर प्रयास किये जाएँ तथा इसमें संगठन की कुल बचत से सहभाग दिया जाए एवं आवश्यक होने पर सदस्यों से सहयोग राशि एकत्र की जाये। साधारण सभा द्वारा गत

अधिवेशन के पश्चात् दिवंगत शिक्षक साथियों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि भी दी गई।
अधिवेशन के प्रथम दिवस ही सायंकाल में सेवानिवृत्ति के पश्चात् बीकानेर में रह रहे 55 सेवानिवृत्त महाविद्यालय शिक्षकों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मान किया गया। इसके पश्चात् सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं राज्य के ख्यातिप्राप्त कलाकारों द्वारा भवई नृत्य, चकरी नृत्य, लोकगीत, सूफीगीत, देशभक्ति गीत आदि प्रस्तुत किए गए।
अधिवेशन के द्वितीय दिवस 9 जनवरी 2018 को आयोजित शैक्षिक संगोष्ठी का विषय ''उच्च शिक्षा में परीक्षा एवं मूल्यांकन: दशा एवं दिशा'' रहा। सत्र के मुख्य वक्ता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. बी. एल. चौधरी जी तथा अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेन्द्र जी कपूर रहे। परिचर्चा में 9 शिक्षकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।
समारोप सत्र के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्री स्वान्तरंजन जी ने शिक्षकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका पहचानते हुए कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने का आह्वान किया।

2. **प्रदेश चिंतन वर्ग सम्पन्न** - संगठन का प्रदेश चिंतन वर्ग दिनांक 15 से 17 जून 2018 तक जयपुर के ग्लोबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी परिसर में सम्पन्न हुआ। सात विविध सत्रों में आयोजित इस वर्ग के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख प्रो. अनिरुद्ध जी देशपाण्डे, सह क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम जी, क्षेत्र बौद्धिक प्रमुख श्री ग्यारसीलाल जी, क्षेत्र कार्यवाह श्री हनुमानसिंह जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. जगदीश प्रसाद जी सिंघल व राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र जी कपूर ने हिंदुत्व भारत का दर्शन, संगठन के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ, शिक्षक-संगठन के कार्यकर्ता का कर्म-अधिष्ठान, वर्तमान के वैचारिक संघर्ष की पृष्ठभूमि आदि विषयों पर सम्भागियों को पाथेय प्रदान किया। वर्ग में विभिन्न संभागों जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ के अनुसार चक्रीय बैठकों में संगठन की यात्रा और विचार-प्रवाह, संगठन की सफलता का मूल आधार, संगठन की कार्यपद्धति विषयों पर द्विआयामी संवाद हुआ। वर्ग में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में कार्यरत दो सौ पंद्रह शिक्षक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

3. **विश्वविद्यालय शिक्षक सम्मेलन सम्पन्न** - संगठन के तत्त्वावधान में राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का एक दिवसीय सम्मेलन महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 9 सितम्बर 2018 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष श्री जे.पी. सिंघल तथा स्वागताध्यक्ष कुलपति प्रो. कैलाश सोडानी थे। मध्यकालीन सत्र में राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति प्रोफेसर राकेश कोठारी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति प्रोफेसर जे. पी. शर्मा, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर बी. आर. छीपा, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर भगीरथ सिंह, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष श्री जे. पी. सिंघल, रुक्टा (राष्ट्रीय) के अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह एवं महामंत्री ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की समस्याओं पर सीधा संवाद किया। समारोप सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र के कार्यवाह श्री हनुमान सिंह राठौड़ एवं मुख्य अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर जी थे। सम्मेलन में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदरसिंदरी, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के 142 शिक्षकों ने सक्रिय सहभाग किया। इस अवसर पर संगठन के विभाग एवं प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

4. **अम्बेडकर जयंती पर कार्यक्रम** - संगठन की विभिन्न इकाइयों ने 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित उनकी मूर्ति पर पुष्पाजंलि अर्पित की तथा उनकी बताई समरसता की राह पर चलने का संकल्प लिया। सामाजिक समरसता विषय पर अजमेर, कोटा, सिरोही, प्रतापगढ़, ब्यावर, जोधपुर व अलवर इकाइयों द्वारा विचार-गोष्ठियाँ आयोजित की गई।

5. **गुरु-वंदन कार्यक्रम** - प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर प्रदेशभर की 116 इकाइयों के द्वारा गुरुपूर्णिमा के पुनीत अवसर पर गुरुवंदन कार्यक्रम सम्पन्न किए गए। गुरुवंदन के

गरिमापूर्ण कार्यक्रमों में महाविद्यालय शिक्षकों एवं विद्यार्थियों हेतु समाज के पुरोधा चिंतकों, पूज्य संतों और विद्वान् शिक्षकों द्वारा गुरु की महिमा को स्थापित करने के हेतु पाथेय आयोजित किए गए।

6. **कर्तव्य बोध दिवस कार्यक्रम** – संगठन की 113 इकाइयों ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की योजनानुसार वर्ष पर्यन्त स्थायी कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिनांक 12 जनवरी से 23 जनवरी (स्वामी विवेकानंद जयंती से नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जयन्ती) के मध्य इकाई स्तर पर कर्त्तव्य बोध दिवस मनाया, जिसमें समाज के मूर्धन्य विद्वानों, संतों एवं वरिष्ठ शिक्षाविदों द्वारा दायित्व बोध हेतु प्रभावी व्याख्यानों का आयोजन किया गया।
7. **नवसंवत्सर कार्यक्रम** – संगठन की 105 इकाइयों द्वारा नव विक्रम संवत्सर 2075 का स्वागत महासंघ की योजना अनुसार भव्य रूप से किया गया। संगठन द्वारा वर्ष प्रतिपदा के दिन महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देने, प्रसाद तथा साहित्य वितरण करने, रंगोली सजाने, चौराहों पर समाज बंधुओं का तिलक तथा मिश्री-काली मिर्च के प्रसाद से अभिनंदन करने के साथ-साथ भारतीय पंचांग की वैज्ञानिकता एवं प्रासंगिकता को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से धौलपुर, प्रतापगढ़, पाली, ब्यावर, टोंक, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा, दौसा, चुरू, केकड़ी, सिरोही, सरदारशहर में संगोष्ठियों एवं व्याख्यानों का आयोजन किया गया।
8. **एक शिक्षक-एक वृक्ष कार्यक्रम** – शैक्षणिक परिसरों में पर्यावरण के प्रति चेतना जाग्रत करने तथा धारणक्षम विकास हेतु अपने कर्तव्य निभाने के लिए संगठन द्वारा इस वर्ष एक शिक्षक-एक वृक्ष अभियान हाथ में लिया गया। इसके अन्तर्गत प्रति शिक्षक न्यूनतम एक वृक्ष लगाने एवं उसका पालन करने का जिम्मा लिया गया। इस अभियान को शिक्षकों की ओर से उत्साहपूर्ण सहयोग मिला। कई स्थानों पर शिक्षकों के वित्तीय सहयोग से 5-10 फीट ऊँचे वृक्ष लगाए गए। शिक्षकों एवं स्थानीय सहयोग से पौधों की सुरक्षा हेतु कई परिसरों में लोहे, सीमेंट एवं ईंट के ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की गई। अधिकांश स्थानों पर छाया देने वाले एवं औषधीय महत्त्व के पौधों/वृक्षों का चयन कर रोपण किया गया। जिन स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने स्वप्रेरणा से पिछले वर्ष पौधे/वृक्ष लगाए थे, उन वृक्षों का जन्मदिन भी समारोहपूर्वक मनाया गया।
9. **वार्षिक सदस्यता अभियान** – संगठन के वार्षिक सदस्यता अभियान के अन्तर्गत 2 जुलाई से 16 जुलाई 2018 तक सदस्यता एकत्रित की गई। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में कार्यकर्ताओं द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर सदस्यता प्राप्त की गई। 16 जुलाई तक एकत्र कुल सदस्यता 5550 रही, लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त शिक्षकों की सदस्यता का संग्रहण उनकी क्रमशः नियुक्ति उपरान्त कार्यकारिणी के निर्णयानुसार चल रहा है।
10. **'भाषा एवं ज्ञान का अन्तः संबंध' विषय पर संगोष्ठी** – संगठन के कोटा विभाग के तत्त्वावधान में 'भाषा एवं ज्ञान का अन्तः संबंध' विषय पर प्रांतीय संगोष्ठी का आयोजन राजकीय महाविद्यालय कोटा में किया गया। भाषा व ज्ञान के संबंध पर चार सत्रों में लगातार मंथन किया गया। संगोष्ठी में दो सौ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
11. **'अरबन नक्सल्स : राष्ट्रीय एकता के लिए अदृश्य खतरे' विषय पर व्याख्यान** – संगठन के अजमेर विभाग के तत्त्वावधान में 'अरबन नक्सल्स : देश की एकता के लिए अदृश्य खतरे' विषय पर राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में 4 नवम्बर 2018 को सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किया गया। व्याख्यान के मुख्यवक्ता प्रमुख चिंतक एवं शिक्षाविद् राजस्थान क्षेत्र के कार्यवाह श्री हनुमान सिंह राठौड़ थे। व्याख्यान में 200 से अधिक शिक्षक व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
12. **केरल बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ राशि प्रेषित** – संगठन की राजकीय महाविद्यालय अजमेर, राज. महाविद्यालय नसीराबाद, मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, जयपुर, दयानंद कॉलेज अजमेर, अलवर, बीकानेर आदि इकाइयों द्वारा भी केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए दो लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि एकत्र की गई। एकत्र की गई कुल सहायता राशि सेवा भारती केरल को भिजवाई गई।
13. **पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता हेतु साईकल रैली** – संगठन की अजमेर इकाई द्वारा एक साईकल रैली का आयोजन 13 जून 2018 को किया गया, जिसमें 70 शिक्षकों ने भाग लिया। रैली के समापन के बाद पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया।
14. **महापुरुषों की जयंती कार्यक्रम** – सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती पर संगठन की अजमेर इकाई द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसी प्रकार महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय अजमेर में अवस्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्मरण किया तथा राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया।

15. **प्रकाशन** – संगठन पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक/शैक्षिक महत्त्व के किसी विषय को लेकर शिक्षकों एवं समाज के वैचारिक प्रबोधन हेतु प्रदेश अधिवेशन में एक स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है। बीकानेर अधिवेशन में कर्तव्यबोध विषय पर प्रकाशित स्मारिका ***'कर्मण्येवाधिकारस्ते'*** का विमोचन उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी जी द्वारा किया गया। स्मारिका में देश के जाने माने चिन्तकों के अलावा राज्य की उच्च शिक्षा में कार्यरत विद्वानों के लेखों का संकलन है।

16. **प्रदेश कार्यकारिणी बैठकें** – 29 मार्च, 2018, 16 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 को संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी तथा 15 जून व 12 अगस्त 2018 को विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न हुईं। इनमें संगठन की विभिन्न गतिविधियों एवं आगामी कार्ययोजना पर गंभीरता से विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए।

17. **शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रमों में सहभाग**

*(अ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकों में सहभाग* – अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 3-4 फरवरी 2018 को अयोध्या (उत्तरप्रदेश), 26-27 मई 2018 को अहमदाबाद (गुजरात) एवं 6-7 अक्टूबर 2018 को इन्दौर (मध्यप्रदेश) में सम्पन्न हुई। संगठन की ओर से इन बैठकों में अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री एवं सहसंगठन मंत्री ने सक्रिय सहभाग किया।

*(आ) राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में सहभाग* – 6 अक्टूबर 2018 को चतुर्थ शिक्षाभूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान, समारोह इन्दौर में चिन्मय मिशन, चैन्नई के पूज्य स्वामी मित्रानंद जी के गरिमामय सान्निध्य तथा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा के कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। शिक्षाभूषण अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान से देश के तीन अग्रणी, सुविख्यात, कर्मयोगी, राष्ट्रीयता बोध से ओत-प्रोत तथा शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले कर्नाटक के प्रो. रामचन्द्र जी भट, महाराष्ट्र की डॉ. स्वर्णलता चन्द्रशेखर भिशीकर जी तथा बिहार के प्रो. नन्द किशोर जी पाण्डेय को पूज्य स्वामी मित्रानंद जी के कर कमलों से सम्मानित किया गया। रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से समारोह में अध्यक्ष, संगठन मंत्री, महामंत्री, सहसंगठन मंत्री उपस्थित रहे।

*(इ) उच्च शिक्षा में नैतिकता एवं कार्य संस्कृति विषयक संगोष्ठी में सहभाग* – शैक्षिक मंथन संस्थान, जयपुर द्वारा जयपुर के शास्त्रीनगर स्थित विज्ञान पार्क में 8 जुलाई 2018 को 'उच्च शिक्षा में नैतिकता एवं कार्य संस्कृति' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन में संगठन के कार्यकर्ताओं की प्रमुख भूमिका रही। संगोष्ठी में रुक्टा (राष्ट्रीय) के 80 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

*(ई) राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला में सहभाग* – 6 मई 2018 को भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला में रुक्टा (राष्ट्रीय) के सात कार्यकर्ताओं ने सक्रिय सहभाग किया।

*(उ) 'वसुधैव कुटुम्बकम्' विषयक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में सहभाग* – शैक्षिक फाउण्डेशन एवं आर्यभट्ट महाविद्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त तत्त्वावधान में दिनांक 24-25 फरवरी 2018 को अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन 'वसुधैव कुटुम्बकम्' आयोजित किया गया। सम्मेलन में रुक्टा (राष्ट्रीय) की ओर से अध्यक्ष, महामंत्री सहित 43 सदस्यों ने सक्रिय सहभाग किया।

*सांगठनिक एवं वैचारिक कार्य एवं गतिविधियों का ठीक प्रकार योजनानुसार सम्पन्न होना हो या शिक्षक समस्याओं के समाधान में प्रगति एवं उपलब्धियाँ हो, यह किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। जब सब एक साथ मन में समान बोध लेकर उत्साह से चलते हैं तो ही संगठन में चैतन्य आता है और उपलब्धियों के दीप जलते हैं।*

*आप सब संगठन के सदस्यों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं के प्रेम, सहयोग, विश्वास व समर्पण भाव का ही परिणाम प्रतिवेदन में उपलब्धियों के रूप में व्यक्त हुआ है।*

*सांगठनिक, वैचारिक कार्य या शिक्षक समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में जहाँ कहीं आपकी, समाज की भावनानुसार कार्य नहीं हो पाया है या अपेक्षित परिणाम नहीं मिला है उसके लिए मैं ही पूर्णतया उत्तरदायी हूँ। अपनी व्यक्तिगत न्यूनताओं के लिए आप सब से करबद्ध क्षमा प्रार्थना करता हूँ एवं आपके निरन्तर विश्वास, सहयोग, प्रेम एवं मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।*

**भवदीय**

(डॉ. नारायणलाल गुप्ता)

## *57वें प्रदेश अधिवेशन में साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्ताव*

**प्रस्ताव 1 -प्लास्टिक-प्रदूषण के विरुद्ध हम सब जुटें।**

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम्।। 'ईशावास्योपनिषद्' में कहा गया है कि जगत् में जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। उसके त्याग-भाव से तुम अपना पालन करो और किसी के धन की इच्छा न करो। भावार्थ यह है कि त्याग के साथ भोग के स्वभाव से ही इस संसार के लोग सुखी रह सकते हैं। हम इस प्रकृति से जितना लें, उतना दें भी, यह हमें हमारी संस्कृति ने सिखाया है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो टिकाऊ या सस्टैनेबल विकास का भी यही सूत्र होना चाहिए। भोग के साथ त्याग की भावना न रखने के कारण ही इस दुनिया में प्लास्टिक जैसी चीजें बनीं और अब तो सभी स्थानों पर यह मिथ्या अवधारणा भी प्रचलित हो गई है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुएँ ही सस्ती और टिकाऊ होती हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि धरती पर प्लास्टिक-उत्पादों के संचय से पारिस्थितिकी तंत्र में हानिकारक बदलाव आ रहा है, जिससे पूरी मानव जाति को खतरा उत्पन्न हो गया है। सिर्फ प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो 10 लाख प्लास्टिक की बोतलें हम प्रति मिनट खपा रहे हैं और 500 अरब प्लास्टिक के बैग्स प्रतिवर्ष काम में ले रहे हैं। नमक, आटा, घी, तेल, ब्रेड, चीनी, स्वास्थ्यवर्धक पेय व पाउडर, लंच बॉक्स, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, छाछ, किचन कंटेनर्स और क्या नहीं है, जो प्लास्टिक के सुंदर और सस्ते पैकेजिंग के कारण हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। यह आँकड़ा चौंकाने वाला है कि आधे से अधिक प्लास्टिक सिर्फ एक बार प्रयोग होता है। अधिक भयावह बात तो यह है कि जो प्लास्टिक पुन:चक्रित हो रहा है, वह भी सुरक्षित नहीं है - क्योंकि पुन:चक्रण की प्रक्रिया में पहले से अधिक प्रदूषण होता है। आज 1500 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा हमारे ग्रह पर एकत्रित है, जो बढ़ता ही जा रहा है तथा प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में फेंका जा रहा है, जिससे समुद्री जीवों व वनस्पति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

यह धरती हमारी माँ है - इसका सौंदर्य बना रहे, इसके लिए देश में संस्थागत रूप से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्तर पर जागरूक रहना भी आवश्यक है। इसलिए राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की साधारण सभा अपने 57वें अधिवेशन में यह प्रस्तावित करती है कि सभी शिक्षक, विद्यार्थी व समाज के अन्यान्य बंधु-भगिनी प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े, कागज या जूट से बने थैलों के प्रयोग को प्रोत्साहित करें और कोई भी व्यक्ति यदि प्लास्टिक के थैलों में सामान दे, तो उसे विनम्रतापूर्वक 'ना' कहें। सरकार प्लास्टिक के थैलों के प्रचलन के सम्बन्ध में बने नियमों को और भी कठोर बनाए तथा उनका उपयुक्त रूप से लागू होना भी सुनिश्चित करे। सभी, बहुत आवश्यक हो तभी - वैज्ञानिक मापदण्डों के अनुसार बने ऐसे थैलों को ही काम में लेने के लिए कृतसंकल्प हों, जिनका पुनर्चक्रीकरण हो सके। सरकार इस दिशा में जागरूकता अभियान चलाए और प्लास्टिक-उत्पादों से होने वाले खतरों से सम्बंधित सामग्री को शिक्षा-पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करे।

साधारण सभा का मत है कि सभी शिक्षक, विद्यार्थी व समाज के अन्यान्य बंधु-भगिनी खाने-पीने के बरतनों के रूप में प्लास्टिक से बने पदार्थों का बहिष्कार करते हुए हमारी आधारभूत जीवन-शैली को परिलक्षित करने वाले मिट्टी या धातु से बने पदार्थों का प्रयोग ही करें। सरकार का दायित्व है कि सभी प्रकार के राजकीय आयोजनों में खाने-पीने के बरतनों के रूप में प्लास्टिक से बने पदार्थों का बहिष्कार करते हुए मिट्टी या धातु से बने पदार्थों के प्रयोग को अनिवार्य करें। हम अपने सम्पर्क में आने वाले सभी विद्यार्थियों व अन्य व्यक्तियों को प्लास्टिक-उत्पादों के प्रयोग से होने वाली हानियों के विषय में बताएँ। मुख्य रूप से हम यह प्रचारित करें कि कैंसर जैसे असाध्य रोग प्लास्टिक के प्रयोग से भी होते हैं। सरकार से अपेक्षा है कि वह इस तरह के प्रचार को अपनी नीति का हिस्सा बनाए। सभी प्लास्टिक-उत्पाद के प्रयोग के हतोत्साहन और इसके सकारात्मक पुनर्नवीनीकरण के प्रोत्साहन के लिए कार्य करें। सरकार इस कार्य के लिए समाज में एक 'प्रमाण-आधारित सक्रिय संवाद-प्रविधि' का नियोजन करे।

साधारण सभा का यह मत है कि सभी शिक्षक, विद्यार्थी व समाज के अन्यान्य बंधु-भगिनी सार्वजनिक रूप से जहाँ भी प्लास्टिक का अपशिष्ट दिखाई दे, तो यह प्रयास करें कि वह गाय या अन्य किसी जंतु के पेट में न जाए। प्लास्टिक-उत्पाद के अपशिष्ट का उचित प्रबंधन हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। सरकार भी इस सम्बन्ध में आवश्यक विधिक प्रतिबन्ध लागू करे। कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक-उत्पाद का अपशिष्ट सार्वजनिक स्थान पर न डाले। हमारे किसी भी कृत्य

से न तो कहीं प्लास्टिक-उत्पाद का कचरा इकट्ठा हो और न ही हमारे ग्राम या नगर की नालियाँ अवरुद्ध हों। इस दिशा में सरकार अपने अधीन काम कर रही सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक व प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी करे। साधारण सभा का विचार है कि सभी व्यक्ति प्लास्टिक से बने ई-कचरे का निस्तारण निर्धारित विधि से ही करें। विशेष रूप से स्मार्टफोन, कम्प्यूटर आदि उपकरणों के कचरे के निस्तारण की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार भी ई-कचरे के निस्तारण के लिए व्यापक और प्रभावी कार्य-योजना बनाए, जिसका कार्यान्वयन विधिजन्य रूप से सुनिश्चित हो। साधारण सभा मानती है कि सभी शिक्षक, विद्यार्थी व समाज के अन्यान्य बंधु-भगिनी मोबाइल, कम्प्यूटर आदि चीजें आवश्यकता से अधिक एकत्र न करके अपरिग्रह की भावना का परिचय दें। साधारण सभा का मत है कि सभी शिक्षक, विद्यार्थी व समाज के अन्यान्य बंधु-भगिनी प्लास्टिक-उत्पाद का व्यवसाय करने वाले वर्ग को वैकल्पिक व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए प्रेरित करें। सरकार प्लास्टिक-उत्पाद का व्यवसाय करने वाले वर्ग को वैकल्पिक व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करवाए। रुक्टा (राष्ट्रीय) की यह साधारण सभा आह्वान करती है कि सभी शिक्षक, विद्यार्थी व समाज के अन्यान्य बंधु-भगिनी विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से 'प्लास्टिक-उत्पाद के विरुद्ध शपथ' लें। सरकार भी इस तरह के शपथ-समारोहों को अपनी नीति का हिस्सा बनाए। संतोष का विषय है कि हमारे संगठन के अधिवेशन प्लास्टिक-उत्पाद मुक्त वातावरण में सम्पन्न हो रहे हैं।

**प्रस्ताव 2- भारतीय भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन हो।**

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की साधारण सभा का यह मत है कि यदि हम विभिन्न राष्ट्रों की निर्मिति, समृद्धि और स्वाभिमान की जड़ों का अन्वेषण करें, तो पाएँगे कि वे जड़ें कहीं न कहीं स्वभाषा से अभिसिञ्चित हो रही हैं। कोई भी राष्ट्र स्वभाषा के बल पर ही सामर्थ्यवान् बनता है और स्वभाषा के सामर्थ्य से ही वैभव-सम्पन्न बनता है। बाहर से आयातित और आरोपित भाषाएँ न तो राष्ट्र वैभव की समृद्धि करती हैं और न ही राष्ट्र भाव का जागरण करती हैं। विभिन्न काल खण्डों में औपनिवेशिक शक्तियों के पराधीन रहे देशों के इतिहास का जब अध्ययन किया जाता है तो यह ध्यान में आता है कि इन देशों के स्वतन्त्र होने में भी इनकी अपनी भाषाओं का योगदान रहा है और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी इन देशों ने परकीय भाषाओं को त्यजकर अपनी भाषाओं को पुनः स्थापित किया है और पुनः अपनी ही भाषा के माध्यम से शिक्षा व शोध की योजना करते हुए, सामाजिक-आर्थिक-वैज्ञानिक तकनीकी और अन्य समसामयिक ज्ञान का प्रसार करते हुए प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। 20वीं शताब्दी के मध्य में आर्थिक विपन्नता से ग्रस्त चीन और विश्व युद्ध की विभीषिका से सन्त्रस्त जापान तो ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने स्वभाषा के माध्यम से प्रगति के सोपानों का संस्पर्श करते हुए आज वैश्विक शक्ति के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठापित किया है। इसलिए स्वभाषा-गौरव-बोध से अनुप्राणित भारतेन्दु हरिशचन्द्र की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ सदा समीचीन और प्रासंगिक लगती हैं - निजभाषा-उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

मातृभाषा ही व्यक्ति के संस्कारों की संवाहिका है। यही शिशु, माता, परिवार, समाज और राष्ट्र की योजक कड़ी है। मातृभाषा ही किसी देश की संस्कृति की रक्षिका और वाहिका है। भाषा यदि अभिव्यक्ति का माध्यम होती है तो मातृ भाषा के द्वारा निष्पन्न अभिव्यक्ति ही सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है। हम यह मानते हैं कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं होता है। आज प्रायः सभी शिक्षाविद्, चिन्तक, बाल मनोविज्ञानी और मनः चिकित्सक भी मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम मातृभाषा ही हो सकती है। शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न आयोगों व समितियों के भी निष्कर्ष कुछ इसी प्रकार के हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब इतने बड़े वैज्ञानिक इसलिए बन पाए क्योंकि उनकी पढ़ाई की मूल भाषा तमिल रही। आधुनिक भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रथम प्रयोग-पुरुष के रूप में ख्यात गिजुभाई ने अनेक बालोपयोगी कहानियाँ लिखीं, सब मातृभाषा गुजराती में लिखीं। महात्मा गाँधी भी मातृभाषा के प्रबल पैरोकार थे। भाषा के प्रश्न पर उनके विचार महत्त्व पूर्ण हैं। निश्चय ही मातृ भाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशीय-भाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा इत्यादि विविध भाषाओं में मातृ भाषा ही सर्वश्रेष्ठ, प्रथमपूज्य, सुज्ञेय, अत्याज्य और नित्य प्रयोज्य होती है। गौरव का विषय है कि हमारे पास अपनी भारतीय भाषाओं-मातृभाषाओं की वैविध्यपूर्ण थाती सुरक्षित है। इस बहुमूल्य निधि का संरक्षण आवश्यक है। आज विश्वभर के मनीषी चिन्तक यह मानने लगे हैं कि जगत के लिए जैव विविधता (Bio-diversity) जितनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक भाषिक विविधता भी है क्योंकि भाषिक विविधता ही जैवसांस्कृतिक विविधता की आधार भूमि है।

इसलिए हमारा विचार है कि भारत को यदि अपनी विश्ववारा संस्कृति को आगे भी अक्षुण्ण रखना है, भारत को यदि भारत बने रहना है, भारत को यदि पुन: विश्व गुरु बनना है तो भारत को अपनी भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, लिपियों का संरक्षण तथा संवर्धन भी करना होगा। अपनी सब भाषाओं को भुलाकर, केवल अंग्रेज़ी को अपना कर, क्या हम विश्व में अपनी पहचान बना सकते हैं? हमारी एक-एक भाषा हमें शताब्दियों - सहस्राब्दियों के काल-प्रवाह से प्राप्त हुई है। उन्हें क्या हम एक-एक करके विलुप्त होते तटस्थ भाव से देखते रहें? कदापि नहीं, क्योंकि ऐसी तटस्थता प्रज्ञापराध है। इसलिए इस साधारण सभा का यह सुचिन्तित मत है कि -

* भारतीय भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा के सभी स्तरों में मातृभाषाओं को माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए।
* देश भर में प्राथमिक शिक्षण तो मातृभाषा में उपलब्ध हो ही, उच्च व तकनीकी शिक्षा भी यदि सब मातृभाषाओं में सम्भव न हो तो कम से कम हिन्दी सहित कतिपय भारतीय भाषाओं का विकल्प तो वहाँ अवश्य ही होना चाहिए।
* इसके लिए हम शिक्षक समाज में वातावरण-निर्माण करें, छात्र संगठन सरकारों से माँग करें और सरकारें इस दिशा में उचित नीतियों का निर्माण कर आवश्यक प्रावधान करें।
* तकनीक, आयुर्विज्ञान, विधि और प्रबन्धन सहित उच्च शिक्षा के स्तर पर सभी अकादमिक और व्यावसायिक संकायों में शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और परीक्षा का विकल्प भारतीय भाषाओं में सुलभ कराये जाने के साथ ही यह भी आवश्यक है कि तत्सम्बद्ध पाठ्य-सामग्री भी उन भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो।
* इसके लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, विभिन्न ग्रन्थ अकादमियों, भाषा-अकादमियों, नाना पाठ्यपुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय-प्रकाशन-संस्थानों का सहयोग लेकर स्तरीय पाठ्यसामग्री तैयार करवाई जानी चाहिए।
* राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ भारतीय भाषाओं में भी प्रारम्भ की गई हैं, यह पहल स्वागत योग्य है। इसके साथ ही अन्य प्रवेश एवं प्रतियोगी परीक्षाएँ भी भारतीय भाषाओं में हों तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भारतीय भाषाओं का विकल्प चुनने वाले छात्रों का चयन प्राथमिकता से हो।

यह सत्य है कि चतुर्दिक् आंग्लमोह में जकड़ी हुई शिक्षा-व्यवस्था के लिए मातृभाषाओं में शिक्षा का मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण है; किन्तु मातृभाषाओं की निरन्तर उपेक्षा से उनके समक्ष जो अस्तित्व का संकट उपस्थित हो रहा है, उसका समाधान बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारी किसी भाषा का लोप उस भाषा का हमसे छूट जाना मात्र नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता व संस्कृति के इतिहास की एक बहुत बड़ी सञ्चित कमाई जिसमें समाई है, ऐसी एक पूरी परम्परा का हमसे सदा के लिए छूट जाना है। रुक्टा (राष्ट्रीय) की साधारण सभा का सुविचारित मत है कि भावी पीढ़ियों के लिए मातृभाषाओं के संरक्षण तथा संवर्धन का गुरुतर दायित्व हमारी पीढ़ी पर है और मातृभाषा-संरक्षण का सबसे बड़ा उपकरण मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण है।

**प्रस्ताव 3. शिक्षा व शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए**

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) की साधारण सभा पूर्व में पारित एवं अनिस्तारित प्रस्तावों की पुन: पुष्टि करते हुए शैक्षिक-उन्नयन एवं शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार से माँग करती है कि निम्न समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए -

1. नवीन यू.जी.सी. वेतनमान का सम्पूर्ण वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाए एवं यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुरूप विसंगतियों को दूर किया जाए।
2. महाविद्यालयों में प्रोफेसर पद पर पदोन्नति नवीन यू.जी.सी. रेगुलेशन के अनुरूप शीघ्र की जाए।
3. महाविद्यालयों में प्राचार्यों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए।
4. आर.वी.आर.ई.एस. में समायोजित शिक्षकों के 31 दिसम्बर 2008 से बकाया वरिष्ठ/चयनित वेतनमान का लाभ अविलम्ब

दिया जाए एवं राज्य सेवा में नियुक्ति पश्चात् पे बैंड-4 का लाभ अन्य राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों के समान ही दिया जाए।

5. शिक्षकों को शोध करने हेतु कोर्स-वर्क की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाए अथवा छह माह के सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की जाए।
6. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों, शारीरिक-शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद तुरन्त प्रभाव से भरने की व्यवस्था की जाए एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्डानुसार पिछले वर्षों में बढ़ी हुई शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर कार्यभार का पुन: निर्धारण किया जाए। तदनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के नवीन पदों का सर्जन किया जाए।
7. शारीरिक शिक्षकों का पदनाम यू.जी.सी. रेगुलेशन अनुसार डी.पी.ई. किया जाए।
8. राज्य सेवा के अन्य कार्मिकों के समान ही जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य ड्यू वेतन वृद्धि वाले महाविद्यालय शिक्षकों को भी छठे वेतनमान में अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाए।
9. राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ एक समान रूप से पात्रता तिथि से ही दिया जाए।
10. 1 जनवरी 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप पेंशन संशोधित की जाए।
11. संस्कृत शिक्षा, कृषि, तकनीकी एवं पशु विज्ञान शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को नवीन यू.जी.सी. वेतनमान के अनुरूप लाभ दिया जाए।
12. 1 जनवरी 2004 के पश्चात् नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
13. पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को दिया जाए।
14. निदेशक/आयुक्त के पद पर वरिष्ठ शिक्षाविद् की ही नियुक्ति की जाए तथा निदेशक (अकादमी) के रिक्त पद को अविलम्ब भरा जाए।
15. विभागीय पदोन्नति समिति एवं कॅरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के तहत वरिष्ठ, चयनित एवं पे-बैंड-4 हेतु वर्ष में दो बार नियमित बैठकें आयोजित हों।
16. महाविद्यालय शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि को नियमित सेवा मानते हुए वेतन सहित समस्त परिलाभ प्रदान किये जायें।
17. संविदा आधार पर नियुक्त शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए एवं उनकी लम्बी सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियमित किया जाए।
18. आर.वी.आर.ई.एस. में समायोजित शिक्षकों के मेडिकल एवं उपार्जित अवकाश राज्य सेवा में अग्रनयन किये जाएँ एवं अनुदानित सेवा के समस्त बकाया का भुगतान करवाया जाए।
19. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत वेतनमान दिये जाएँ।
20. निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शोषण को रोकने एवं इन संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी नियम निर्देशों की समुचित पालना के लिए नियामक आयोग का गठन किया जाए तथा इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए यू.जी.सी. मापदण्डानुसार न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए।

## शोक-प्रस्ताव

रुक्टा (राष्ट्रीय) के 56वें अधिवेशन के पश्चात् शिक्षा जगत् के हमारे कुछ साथी प्रभुतत्व में लीन हो गए हैं। संगठन के 57वें अधिवेशन की यह साधारण सभा प्रो. विमला शर्मा-कोटा, प्रो. विजय श्रीमाली-उदयपुर, प्रो. महेन्द्र शर्मा-खैरवाड़ा, प्रो. डी.डी. पारीक-ब्यावर, प्रो. जी. आर. वर्मा-भरतपुर, प्रो. अश्विनी गर्ग-किशनगढ़, प्रो. रतन सिंह परमार-बाड़मेर, डॉ. गोपाललाल शर्मा-दौसा, डॉ. जीवराज सोनी-बीकानेर, डॉ. कैलाश स्वरूप शर्मा-जोधपुर एवं डॉ. वी.के. जैन-भरतपुर, प्रो. हस्तीमल शर्मा-पाली, डॉ. शंकरलाल जाट-चिमनपुरा, प्रो. पी. डी. सिंघल-बालोतरा, डॉ. कोमल सिंह मेहता-भीलवाड़ा, प्रो. एस. के. भाट-लालसोट और प्रो. दिवाकर दरबारी, प्रो. सिमी शर्मा-तिजारा के निधन से शिक्षा जगत् में हुई अपूरणीय क्षति के लिए गहन शोक प्रकट करती है एवं ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनकी आत्मा को शांति एवं उनके परिजनों को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

# राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
## आय-व्यय खाता (वित्तीय वर्ष 2017-2018)
## 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

| व्यय | राशि (रु.) | आय | राशि (रु.) |
|---|---|---|---|
| डाक व्यय | 28,591.00 | सदस्यता 2017–2018 | 6,13,700.00 |
| मोबाईल, वेबसाईट, बल्क संदेश | 33,107.00 | आजीवन सदस्यता | 15,000.00 |
| प्रिंटिंग व स्टेशनरी | 1,86,168.00 | इकाइयों से विशेष सहायता | 1400.00 |
| यात्रा व्यय | 1,30,852.00 | | |
| पारिश्रमिक | 18,000.00 | बचत खाते पर ब्याज | 51,050.00 |
| कार्यकारिणी बैठक व्यय | 21,100.00 | मियादी जमा खाते पर ब्याज | 2,84,221.00 |
| अ.भा. रा. शैक्षिक महासंघ | 6,137.00 | यूको बैंक 189554 | |
| विचार वर्ग | 2,21,731.00 | आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 94667 | |
| ज्ञान संगम में सहयोग | 53,400.00 | विचार वर्ग शुल्क | 52,600.00 |
| विविध व्यय | 1,000.00 | स्मारिका विज्ञापन | 1,70,000.00 |
| बैंक चार्जेज | 480.00 | | |
| स्थानीय इकाईयों के पुर्नभरण | 15,145.00 | | |
| आय का व्यय पर आधिक्य | 4,72,260.00 | | |
| **योग** | **11,87,971.00** | **योग** | **11,87,971.00** |

## चिट्ठा 31 मार्च, 2018

| दायित्व | राशि (रु.) | सम्पत्तियाँ | राशि (रु.) |
|---|---|---|---|
| **आय का व्यय पर आधिक्य –** | | **रोकड़ बचत बैंक खाता** | |
| गत वर्षों का कोष | 49,57,819.00 | आई.सी.आई.सी.आई. बैंक | 5,976.00 |
| विभाग सम्मेलन में प्राप्त | | यूको बैंक | 12,08,554.00 |
| सहयोग राशि का व्यय पर आधिक्य | 20,315.00 | **मियादी जमा खाता** | |
| 2017–18 का आधिक्य | 4,72,260.00 | आई.सी.आई.सी.आई. बैंक | 14,28,010.00 |
| **कुल कोष** | **54,50,394.00** | यूको बैंक | 28,59,333.00 |
| महामंत्री को देय | 51,479.00 | | |
| **योग** | **55,01,873.00** | **योग** | **55,01,873.00** |

ह.
**डॉ. दिग्विजयसिंह शेखावत**
अध्यक्ष

ह.
**डॉ. नारायण लाल गुप्ता**
महामंत्री

### अंकेक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने रुक्टा (राष्ट्रीय) के 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकें, आय एवं व्यय खाता और चिट्ठे का अंकेक्षण किया है और मैं प्रतिवेदित करता हूँ कि मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण उद्देश्य हेतु आवश्यक समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण मैंने प्राप्त कर लिये हैं। मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार तथा मुझे जो सूचनाएँ और स्पष्टीकरण दिये गए हैं, वे संगठन की स्थिति, विवरण (चिट्ठा) का 31 मार्च 2018 को सही और प्रमाणित स्थिति प्रकट कर रहा है और इस तिथि को आय का व्यय पर आधिक्य भी प्रकट हो रहा है।

ह.
**(डॉ. महेन्द्र कुमार गोखरु)**
अंकेक्षक